वार्षिक प्रतिवेदन की विषय सूची : वर्ष 2018-2019

क्रमांक. संख्या		पृष्ठ सं.
1.	प्रबंधन/बैंकर/ लेखा परीक्षक	**1**
2.	सूचना	**4**
3	निदेशक प्रतिवेदन	**5**
4.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणीयाँ	**13**
5.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	**14**
6.	कंपनी अधिनियम **2013** की धारा **143 (5)** के दिशानिर्देशों के अनुसार सवालों के जवाब	**21**
7.	आंतरिक नियत्रण का प्रतिवेदन	**23**
8.	लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर प्रबंधन का जवाब	**25**
9.	सचिवीय लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	**29**
10.	**31** मार्च**,** 2019 का तुलनपत्र	**33**
11.	**31** मार्च**,** 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का लेखा	**35**
12.	नकद प्रवाह विवरण	**37**
13.	तुलनपत्र एवं लाभ और हानि लेखा का हिस्सा बनाने वाले टिप्पणी	**39**

प्रबंधन 2018-19 के दौरान

अध्यक्ष:

1. श्री के.आर. वासुदेवन , निदेशक (वित्त), एमसीएल (12.02.2018 से)

नामांकित निदेशक:

2. श्री ओ.पी सिंह, निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी), एमसीएल
3. श्री जे. पी सिंह, निदेशक (तकनीकी/संचालन), एमसीएल
4. श्री एल.एन मिश्रा, निदेशक (कार्मिक), एमसीएल
5. श्री अशरफ, उप सचिव, एमओसी
6. श्री डी. भट्टाचार्जी ,आर.डी, आरआई -VII, सीएमपीडीआई.
7. श्री संदीप जी. गोखले, निदेशक, जेएसडबल्यू स्टील लिमिटेड.
8. श्री विनायक एन. भट्ट, निदेशक, जेएसडबल्यू एनर्जी लिमिटेड.
9. श्री शक्ति व्रत दासगुप्ता, निदेशक, श्याम मेटैलिक एंड एनर्जी लिमिटेड.
10. श्री एस.एस उपाध्याय, निदेशक, जिंदल स्टैनलेस लिमिटेड.

वर्तमान प्रबंधन

(दिनांक:01.06.2019 के अनुसार)

अध्यक्ष:

1. श्री के.आर. वासुदेवन , निदेशक (वित्त), एमसीएल (12.02.2018 से)

नामांकित निदेशक:

2. श्री ओ.पी सिंह, निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी), एमसीएल.

3. श्री संदीप जी. गोखले, निदेशक, जेएसडबल्यू स्टील लिमिटेड..

4. श्री विनायक एन. भट्ट, निदेशक, जेएसडबल्यू एनर्जि लिमिटेड.

5. श्री शक्ति व्रत दासगुप्ता, निदेशक, श्याम मेटैलिक एंड एनर्जि लिमिटेड.

6. श्री एस.एस उपाध्याय, निदेशक, जिंदल स्टैनलेस लिमिटेड.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री

एम. जी. ब्रहमापुरकर

कंपनी सचिव

श्री सत्यवान राउत

बैंकस

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तालचेर .
2. एक्सेस बैंक, तालचेर .

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स एम. के. स्वाईं एवं सहयोगी
चार्टर एकाउंटेंट
हाउस ऑफ - सोमनाथ प्रहराज द्वितीय तल,
सतीचौरा रोड चाँदिनीचौक, कटक -753002

सचिवीय लेखा परीक्षक
मेसर्स राघव एंड उनके सहयोगी
कंपनी सचिव,
बलदेव निवास, बड़ाबजार,
सम्बलपुर- 768003

पंजीकृत कार्यालय
हाउस नं . 42, प्रथम तल
आनंद नगर
हकीमपाड़ा, अंगुल -759143

<u>सूचना</u>

<u>11 वीं वार्षिक सामान्य बैठक</u>

सूचना दी जाती है कि एम.जे.एस.जे. लिमिटेड के सदस्यों की 11 वीं वार्षिक सामान्य बैठक निम्नलिखित कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दिनांक-21 जून, 2019, शुक्रवार को पूर्वाह्न 11.30 बजे से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, हाउस नं. 42, प्रथम तल, आनंद नगर हाकिमपाड़ा, अनगुल-759143 में आयोजित की जाएगी।

<u>सामान्य कार्य:</u>

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षित लेखा, लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन तथा निदेशकों के प्रतिवेदन को प्राप्त करने, उन पर विचार करने तथा उसे स्वीकार करने हेतु।
2. बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयानुसार सांविधिक लेखा परीक्षक मेसर्स एम. के. स्वाईं एंड एसोसियट्स, सनदी लेखाकार, तालचेर जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए नियुक्त किया गया था, को पारिश्रमिक देय की स्वीकृति देना और इसे लागू करने हेतु निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए।

"निदेशक मंडल के निर्णयानुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 (1) एवं (2) के प्रावधानों एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि हों तो, उसके तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के कंपनी के लेखा की लेखा परीक्षा के लिए प्रमुख लेखा परीक्षक मेसर्स एम. के. स्वाईं एंड एसोसियट्स, सनदी लेखाकार, तालचेर, सांविधिक लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता एवं जेब खर्च की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति तथा भुगतान के लिए संकल्प लिया गया।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
एमजेएसजे कोल लिमिटेड के लिए
ह/-
(एस. राउत)
कंपनी सचिव
एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड

<u>पंजीकृत कार्यालय :</u>

आवास क्रमांक. 42, प्रथम तल, आनंद नगर
हाकिमपाड़ा, अनगुल-759143

टिप्पणी :

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार सदस्य को खुद के बजाय भाग लेने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और यह प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए।
   बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने का विचार रखने वाले कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से वोट देने के लिए प्राधिकृत करने वाले बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रति भेजें।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के तहत प्रावधानों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक को अल्पावधि के सूचना पर बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

निदेशकों के प्रतिवेदन

प्रिय,
शेयरधारक
एमजेएसजे कोल लिमिटेड,

सज्जनों,

मुझे एमजेएसजे कोल लिमिटेड की 11वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए अपार खुशी हो रही है। मैं मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों), वैधानिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.9.2014 को उत्कल-ए कोयला ब्लॉक को रद्द करने तक आपकी कंपनी ने अनुसूची के अनुसार सभी गतिविधियां पूर्ण किया है।

I. **परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति** -

परियोजना प्रतिवेदन - कोयला और ओबी आउटसोर्सिंग वैरीयेंट दोनों के लिए एमसीएल बोर्ड द्वारा फरवरी 2008 को 15 एमटीवाई क्षमता को अनुमोदित किया गया। स्वीकृत पूंजी रु 395.87 करोड़ है। हालांकि एमजेएसजे कोल लिमिटेड द्वारा उत्कल-ए ब्लॉक जो गोपालप्रसाद ओसीपी के संयुक्त ब्लॉक का हिस्सा है पर किए गए कार्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 24.09.2014 के आदेश के अनुसार रद्द कर दिया है।

- **अनुमोदित खनन योजना** : एमजेएसजे कोल लिमिटेड के नाम पर स्वीकृति दिनांक 23/04/09 को प्राप्त हुई है।

- **वन भूमि डाइवर्सन प्रस्ताव (एफ़एलडीपी)** - यह कार्य आउटसोर्स मेसर्स जियो कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया।

  क) वन क्षेत्र की सीमा और पेड़ों की गणना पूरी हो गई है।
  ख) क्षतिपूर्ति वनीकरण : साइट की पहचान और सीमांकन पूरा हो गया है।
  डीएफ़ओ, अंगुल द्वारा साइट जांच पूरी हो गई है। इसे एमसीएल के आरपीडीएसी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
  ग) वन अधिकार अधिनियम के अनुसार, सभी दस गांवों में ग्राम सभा पूरी हो चुकी है। एसडीएलसी 27 अप्रैल को आयोजित किया गया था और कलेक्टर, अंगुल द्वारा एनओसी जारी किया गया।

घ) एमओईएफ़, नई दिल्ली के दिशानिर्देशों के अनुसार, वन भूमि का डिजिटलीकरण अनिवार्य है। डिजिटलीकृत मानचित्र को ओआरएसएसी, बीबीएसआर द्वारा प्रमाणित किया जाना है। वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए अनिवार्य डीजीपीएस सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और ओआरएसएसी और डीएफओ, अंगुल द्वारा वन क्षेत्र की डीजीपीएस योजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

II पर्यावरणीय प्रबंधन योजना -

क**) एमओईएफ, दिल्ली द्वारा दिसम्बर 2008 में संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देना -** दिनांक 17-08-2009 को ईएमपी-ईआईए मसौदा एसपीसीबी, ओड़िशा को प्रस्तुत किया गया। खदान की स्थापना हेतु रु. 3 लाख के शुल्क के साथ आवेदन एसपीसीबी को जमा की गई। अंतिम ईएमपी एमओईएफ को प्रस्तुत किया गया। एमओईएफ के ईएसी से पहले टीओआर के आधार पर ईसी के लिए प्रस्तुतीकरण दिनांक 29.03.2011 को किया गया था। बाद में, एमओईएफ के ईएसी से पहले टीओआर के आधार पर ईसी के लिए दिनांक को 09.01.2013 प्रस्तुत की गई। दिनांक 09/01/2013 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में ईएसी ने दिनांक 05/11/2013 को ईसी को अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की है। वन मंजूरी चरण-। अब तक प्राप्त नहीं किया जा सका है, ईसी अनुदान के लिए ईएसी की सिफारिश अमान्य है क्योंकि तब से एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है।

ख**) वन्यजीव संरक्षण -** डीएफ़ओ द्वारा रिपोर्ट अनुमोदित की गई तथा उसे आरसीसीएफ़, अंगुल को प्रेषित किया गया**।** वन्यजीव प्रबंधन योजना को पीसीसीएफ़, (डबल्यूएल), ओड़िशा सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

ग**) सामाजिक -आर्थिक अध्ययन -** सामजिक-आर्थिक अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट कलेक्टर, अंगुल को प्रस्तुत की गई। इसे एमसीएल के आरपीडीएसी द्वारा अनुमोदित किया गया।

III : भूमि अधिग्रहण

क**) वेस्ट गोपाल प्रसाद वेस्ट -** एमसीएल के नाम पर भूमि सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित की गई है।

4(1)	30.06.2003
7(1)	15.10.2004
9(1)	20.01.2007
11(1)	25.09.2007

ख) उत्कल "ए" : भूमि अधिग्रहण अपने अंतिम चरण में निम्न रूप में है :

4(1)	26.03.2011
7(1)	11.04.2012
9(1)	01.02.2013
11(1)	13.02.2013 को आवेदन एमओसी को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 29.10.2013 को भूमि एमजेएसजे निहित है।

ग) **अन्य बुनियादी ढांचे के लिए भूमि अधिग्रहण -** अन्य बुनियादी ढांचे के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित 50.351 हेक्टर के माप की भूमि को एमजेएसजे की 17 वीं बोर्ड की बैठक में मंजूरी दे दी गई थी। एमओसी की मंजूरी के बाद, इसे दिनांक 12.03.2012 को आगे की कार्रवाई के लिए एमओसी द्वारा कलेक्टर, अंगुल को भेज दिया गया है। विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एमसीएल, अंगुल द्वारा वांछित के रूप में, सभी आवश्यक चीजें जमा कर दी गई हैं। भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अंगुल द्वारा नई भूमि अधिग्रहण अधिनियम '2013 के अनुसार एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ वापस कर दी गई है।

घ) **काश्तकारी भूमि** - भूमि के इस हिस्से को सीबीए अधिनियम के तहत अधिग्रहित किया गया है और और भालुगड़िया और बाघुआबुल गाँव में संरचना (बनावट) माप पूरी हुई। उनके रोजगार के फैसले पर निर्णय न होने तक कंकराई और पिरखमान ग्रामवासी बनावट माप की अनुमति नहीं दे रहे थे। विभिन्न बैठकें एमसीएल, जिला प्रशासन और परियोजना प्रभावित व्यक्ति के बीच हुई है। इससे पहले, परियोजना प्रभावित व्यक्ति केवल एमसीएल से नौकरी की मांग कर रहे थे, लेकिन कई बैठकों के बाद उन्होंने कहा कि खान के शुरुआती बंद होने के मामले में, शेष भू-स्थापित जो अभी भी सेवा में है, उन्हें एमसीएल खदानों में रोजगार दिया जाएगा।

मामले को एमजेएसजे कोल लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 24 वीं बैठक में रखा गया और बोर्ड ने इस विषय पर विचार-विमर्श किया, और इसके पश्चात इस पर विचार करते हुए निम्न संकल्प पारित किया :

क) संकल्प किया गया है कि भू-विस्थापितों की सेवाओं की निरंतरता की पूरी देयता उनके अधिवर्षिता तक पूरी तरह से एमजेएसजे कोल लिमिटेड द्वारा वहन / प्रतिपूर्ति की जाएगी और इस प्रभाव के लिए एमसीएल को कॉर्पोरेट गारंटी देने हेतु सहमति हुई है।

ख) "इसके अलावा, संकल्प किया गया कि भू-विस्थापितों को उनकी देयता की ओर अधिवर्षिता तक बैक-टू-बैक काउंटर गारंटी संबंधित प्रमोटर, शेयरधारक से प्राप्त होगी।

ग) इसके अलावा यह संकल्प किया गया कि एमसीएल से भू-विस्थापितों को आश्वस्त करने का अनुरोध किया जाएगा और यह भी कि एमसीएल के मानदंडों के अनुसार उनकी अधिवर्षिता

तक उन्हें सभी मजदूरी और भत्ते प्राप्त होंगे। मजदूरी और भत्तों की ओर कुल व्यय व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा दी गई कॉर्पोरेट गारंटी के अनुसार किया जाएगा।

घ) "इसके अलावा संकल्प किया गया है कि एमसीएल के लिए लागू वार्षिकी योजना एमजेएसजे कोल लिमिटेड द्वारा उस तारीख से कंपनी के बंद होने के मामले में दी जाएगी।

बोर्ड ने आगे के विचार हेतु सीईओ, एमजेएसजे कोल लिमिटेड को निर्देश दिया कि बोर्ड के इस फैसले को एमसीएल को प्रेषित किया जाए। अब, मामला एमसीएल के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत किया गया है।

ङ) **सरकारी भूमि प्रीमियम** - राज्य सरकार को सरकारी भूमि प्रीमियम के रूप में सिर्फ रु. 32, 83, 75, 998 / - (बत्तीस करोड़, तिरासी लाख, पचहत्तर हजार, नौ सौ अट्ठानवे) जमा कर दिया गया है। और 423.445 एकड़ के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है।

च) **पुनर्वास एवं पुन: स्थापना साइट -** आरडीसी, सम्बलपुर तथा दिनांक 09.11.12 को आयोजित आरपीडीएसी द्वारा कंकराई और बलचंद्रपुर गाँव में 89.48 एकड़ सरकारी भूमि पुनर्वास एवं पुन: स्थापना साइट हेतु अनुमोदित की गई तथा इसे आगे की कार्रवाई हेतु तहसीलदार छेंदीपाड़ा को प्रेषित किया गया। तहसीलदार, छेंदीपाड़ा ने 15.07.2011 को क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट हेतु एक पत्र संबंधित आरआई को भेजा। आरआई ने दिनांक 01.11.2011 को तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार ने 16.11.2011 को पेड़ों की गणना और मूल्यांकन के लिए डीएफओ, अंगुल को एक पत्र भेजा है। सामान्य प्रक्रिया के एक भाग के रूप में 16.11.2011 को कंकराई और बालीचंद्रपुर गांव को भी एक सामान्य नोटिस भेजा गया है। रेंज अधिकारी, छेंदीपाड़ा द्वारा वृक्षारोपण अमान्य है, क्योंकि सरकारी भूमि पुरुनगढ़ रेंज कार्यालय के अंतर्गत आती है। आरओ, पुरुरगढ़ द्वारा अनुवर्ती कारवाई की जा रही है।

छ) **रेलवे साईडिंग -** बोर्ड की 19 वीं बैठक में , एमसीएल के माध्यम से आरआईटीईएस द्वारा रेल आधारिक संरचना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने का निर्णय लिया गया। आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्णय को महाप्रबंधक (सिविल), एमसीएल को सूचित किया गया है। एमसीएल द्वारा पुरस्कृत करने की प्रक्रिया की जा रही है।

ज) **कल्याणकारी गतिविधियां -** आवास, जल आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा और प्रशिक्षण आदि जैसे कल्याण और सामाजिक सुविधाएं एमसीएल द्वारा एमजेएसजे कोल लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदान की जा रही हैं।

झ) **परिधीय विकास गतिविधियां -** राज्य सरकार के मार्गदर्शन में सभी परिधीय विकास गतिविधियों और सामाजिक सहयोग की ज़िम्मेदारी वर्तमान में एमजेएसजे कोल लिमिटेड की ओर से एमसीएल द्वारा निभायी जा रही है।

नाला मोड़ना (डाईवर्सन) - ओड़िशा सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा गठित तकनीकी समिति ने साइट का दौरा किया और रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट को माननीय विभाग मंत्री के समक्ष अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया।

IV. वित्तीय गतिविधियां - एमजेएसजे कोल लिमिटेड अब विकासशील चरण में है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सभी राजस्व व्यय 31.03.2019 के अनुसार तुलनपत्र में "विकास" मद के रूप में स्थानांतरित किया गया है और "पूंजी कार्य में प्रगति" (नोट -4) के रूप में दर्शाया गया है। मद के तहत कुल 2293.48 लाख (ड्रिलिंग, अन्वेषन तथा अन्य लागत की ओर) तथा 22529.65 मीटर की ड्रिलिंग लागत के रूप में 1531.92 लाख (नोट-5 में अन्वेषन तथा मूल्याकन संपत्ति के रूप में दर्शाया गया) दर्शाया गया है।

कंपनी ने दिनांक 21.10.2008 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तालचेर और एक्सिस बैंक में अपना चालू खाता संख्या 30533665105 खोला है। दिनांक 31.03.2019 को सीएलटीडी / चालू खाते में कंपनी के पास रु. 1654.29 लाख रुपये की बैंक राशि है।

V:-बैंक गारंटी :

कोयला मंत्रालय के माध्यम से कंपनी ने मूल रूप से भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में Rs.111.24 करोड़ बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया। हालाँकि यह राशि रु. 111.24 करोड़ रुपये माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार घटाकर रु. 22.248 करोड़ कर दिया गया था। तदोपरांत कंपनी ने एसबीआई द्वारा जारी बैंक गारंटी सं.50/48 के अनुसार, उसी राशि को तालचेर के लिए प्रस्तुत किया गया, जो 30.06.2019 तक वैध है और बाद में दिल्ली के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पुन: सत्यापित किया गया है।

VI:- लेखा परीक्षक -

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत, निम्नलिखित लेखापरीक्षा फर्म को वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षक -
मेसर्स एम. के. स्वाईं एवं सहयोगी
चार्टर एकाउंटेंट
सोमनाथ प्रहराज द्वितीय तल,
सतीचौरा रोड चाँदिनीचौक, कटक -753002

VII:- सावधि जमा -

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 तथा उसे तहत लागू अन्य नियम के अनुसार वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

कर्मचारियों का विवरण -

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक कर्मचारियों के विवरण, संशोधित रूप में कंपनी (कर्मचारियों के विवरण), नियमन, 1975 के साथ पढ़ा जाए क्योंकि आपकी कंपनी ने इन प्रावधानों के तहत किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

VIII:- बोर्ड की बैठकें -

वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की चार बैठक आयोजित की गई।

IX:- निदेशक मण्डल -

1. रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक होंगे

i) श्री के. आर. वासुदेवन
ii) श्री ओ.पी. सिंह
iii) श्री जे॰ पी. सिंह
iv) श्री एल. एन. मिश्रा
v) श्री एस. असरफ
vi) श्री डी. भट्टाचार्जी
vii) श्री एस. एस. उपाध्याय
viii) श्री संदीप जी. गोखले
ix) श्री विनायक एन. भट
x) श्री शक्ति व्रत दासगुप्ता

02. रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। शून्य

03. रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान निम्न व्यक्ति निदेशक नहीं रहेंगे।

i. श्री जे॰ पी. सिंह

ii. श्री एल. एन. मिश्रा

iii. श्री एस. असरफ

iv. श्री डी. भट्टाचार्जी

X:- निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण - निदेशक की जिम्मेदारी विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, यह पुष्टि की गई है कि

i) 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों (भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के रूप में) की तैयारी में, भौतिक प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया।

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार लागू किया और निर्णय और मूल्यांकन किए, जो कि उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों में तथा समीक्षा के तहत वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि के बारे में सही और निष्पक्ष विचार दिया जा सके।

iii) कंपनी के परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमित बनावट को रोकने और पहचानने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त देखभाल की है।

iv) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों ने 'गोइंग कंसर्न' आधार पर खातों (इंडेक्स वित्तीय विवरणों के रूप में) को तैयार किया है।

वार्षिक विवरण उद्धरण :

कंपनी अधिनियम 2013 तथा नियम 12(1) के धारा 92 (1) के अनुसार (प्रबंधन और प्रशासन) 2 कंपनी के नियम 2014 के अनुसार, वार्षिक विवरण उद्धरण (फॉर्म संख्या एमजीटी 9) को एमसीएल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका लिंक नीचे दिया गया है: http://www.mahanadicoal.in/Financial/annual_report.php

अभिस्वीकृति -

आपके निदेशकगण एमजेएलजे कोल लिमिटेड के सभी पहलुओं में उनके सहयोग और सहायता के लिए एमसीएल का धन्यवाद करते हैं।

आपके निदेशकगण जिला प्रशासन और ग्रामीणों को उनके बहु मूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

एमजेएसजे कोल लिमिटेड के प्रबंधन हेतु उनके सहयोग के लिए आपके निदेशकगण ट्रेड यूनियनों का धन्यवाद करते हैं।

आपके निदेशक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और कंपनी ओडिशा के रजिस्ट्रार के लेखा परीक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की उनकी सराहना को भी रिकॉर्ड करते हैं।

ह/
अध्यक्ष
एमजेएसजे कोल
लिमिटेड

दिनांक : 01.06.2019
स्थान : अनगुल

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियॉ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा लेखा परीक्षा, दिनांक 24 अप्रैल, 2019 में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एमजेएसजे कोल लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण ना करने का निर्णय किया है।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं
महालेखाकार की ओर से
हस्ता/-
(मौसूमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-II कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 10.05.2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण, एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड

भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों का प्रतिवेदन

मत

हमने 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड के संलग्न तुलनपत्र एवं लाभ-हानि लेखा के साथ-साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के भारतीय लेखांकन मानक के नकद प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूची की लेखापरीक्षा की है। (भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी में उल्लेखित)

हमारे मत में, हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों में शामिल तथा भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत सत्य की जानकारी देते है, जो कि दिनांक 31.03.2019 में कंपनी के मामलो की स्थिति एवं वर्ष के अंतिम तिथि के नकद प्रवाह से संबन्धित हैं।

मत के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की गई है ।. हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षा की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं। , और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है. हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व एवं शासन-विधि

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 134(5) ('अधिनियम') की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तुत इन विवरणियों में कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133, जिसे कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पढ़ा जाए, में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह के सत्य और सही प्रकटन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है।

कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने, उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू करने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाली मिथ्या कथन से मुक्त हो।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए ज़िम्मेदार है, जो कि संस्था, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, संस्था से संबंधित मामले और लेखांकन के चालू संस्था के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या यथार्थवादी नहीं है वैकल्पिक है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतफहमी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और सामग्री मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल में, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

मामलों का महत्व:

कंपनी ने मूल रूप से कोयला मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक प्रत्याभूति के रूप में 1111.24 करोड़ रूपये प्रस्तुत किए। हालांकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 111.24 करोड़ रुपये की राशि में 22.248 करोड़ की गई और तदनुसार कंपनी ने एसबीआई, तालचर द्वारा जारी किए गए धारक संख्या 50/48 के साथ बैंक प्रत्याभूति को उसी राशि के लिए प्रस्तुत की, जिसकी वैध 30.06.2019 तक की गई

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला

हमने नीचे वर्णित मामलों में प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को अपनी रिपोर्ट में सूचित किया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	हमारे लेखा परीक्षा ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया
कोल ब्लॉक का निरस्तीकरण	दो आवंटित कोल ब्लाकों में से, एक कोयला ब्लॉक (यानी उत्कल -ए) पहले ही निरस्त हो चुका है और दूसरा (यानी गोपालप्रसाद-डबल्यू) अभी भी कंपनी के पास है।

अन्य मामलें

वर्ष के दौरान कंपनी ने 15,39,590.00 रुपये के कुछ हिस्सों का भुगतान आकलन वर्ष 2016-17 के लिए किया है, जो आयकर की मांग के अंतर्गत विवाद और अपील के विरुद्ध किया गया है। ऐसी बकाया राशि के संबंध में किताबों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्कताओं पर रिपोर्ट

i) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के उप-खंड (11) के संबंध में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) के अनुसार अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक-क में देते हैं।

ii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा की सुझाई गई पद्धति का पालन करने के उपरांत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का विवरण, उस पर किए गए कार्यों और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव की एक रिपोर्ट अनुलग्नक - ख में देते हैं।

(iii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यकतानुसार हम वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षा, उस पर किए गए कार्यों, और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव की सुझाई गई पद्धति का पालन करने के पश्चात कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम के लेखा परीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी अतिरिक्त अनुदेशों पर एक विवरण इस अनुलग्नक -ग में प्रस्तुत करते हैं।

अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) के अनुसार वांछित रिपोर्ट इस प्रकार हैं-

क) हमने उन सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त कर लिया है जो हमारी जानकारी के अनुसार अंकेक्षण के लिए जरूरी तथा भरोसेमंद था।

ख) हमारे विचार से कानून के अनुसार सभी वांछित लेखा बही कंपनी द्वारा उपस्थापित किया गया जो लेखा बही जांच के लिए आवश्यक था।

ग) तुलन-पत्र जिसमें लाभ और हानि का विवरण तथा रोकड़ उपयोग को इस रिपोर्ट में लेखा-वही करार के साथ प्रस्तुत किया गया है।

घ) हमारे विचार से कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत लेखा के विशिष्ट मानक को उपर्युक्त भारतीय मानक लेखांकन वित्तीय विवरण में पालन किया गया है जो कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 में निहित है।

ड़) निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक 31.03.2019 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 164(2) के शर्तों के अनुसार 31.03.2019 तक नियुक्त किये गये किसी भी निदेशक को आयोग्य करार नहीं दिया गया।

च) कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्त और ऐसे नियंत्रण के प्रचालन प्रभाव से संबंधित प्रतिवेदन अलग से संलग्न किये गए हैं।

छ) कंपनी अधिनियम, 2014 के नियमावली, 11(लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) के तहत् अन्य मामलों से संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में हमारी राय तथा हमारी जानकारी को स्पष्ट करने हेतु स्पष्टीकरण दिया गया।

i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर विचाराधीन मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii) कंपनी ने दीर्घकालीन अनुबंधों के साथ-साथ व्युत्पन्न अनुबंधों पर निकट आर्थिक घाटों अगर कोई हो तो, के लिए लागू नियम अथवा लेखा मानकों में आवश्यक प्रावधान बनाए हैं।

iii) इन्वेस्ट एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को हस्तांतरित किये जाने वाली राशि में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

कटक
दिनांक : 24.04.2019

कृते एम.के.स्वाईं एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. संख्या **: 323045 ई**
ह/-
सी ए मनोज कुमार स्वाईं
साझेदार
सदस्यता संख्या: 057573

द्वितीय तल**,** सतीचौरा रोड**,**
चाँदनी चौक**,**कटक**-**753002

अनुलग्नक-क

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकता हेतु हमारे प्रतिवेदन की तिथि पैरा-1 निर्दिष्ट अनुलग्नक में की गई है।

i) अस्थाई परिसंपति के संबंध में :

यह कंपनी उपलब्ध सूचना के आधार पर संख्यात्मक ब्यौरा तथा अस्थाई परिसंपति सहित तथ्यों को दर्शाते हुए वांछित रिकार्ड का रख-रखाव करता है।

जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी के वित्तीय वर्ष के दौरान अस्थाई परिसंपति का चरणबद्ध आकृतितात्मक रुप से व्यस्थापन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है जिसमें हमारे से तथ्यमूलक रूप से कंपनी के आकार तथा संपदा की प्रकृति को ध्यान में रखा गया है।

अचल संपत्ति का टाइटल डीड कंपनी के नाम से है।

ii) माल के संबंध मेः

वर्ष के दौरान कंपनी के पास कलपुर्जों एवं कच्चे माल का कोई भंडार नहीं है। अतः प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान इसकी प्रत्यक्ष जांच नहीं की गई।

iii) कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 189 के अंतर्गत पार्टी का कर्ज तथा अग्रिम

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 189 के अंतर्गत पार्टी को कोई कर्ज या अग्रिम इस वर्षावधि में नहीं दिया गया जिसका विवरण अद्योलिखित हैः-

क) लागू नहीं

ख) लागू नहीं

ग) लागू नहीं

iv) **कर्ज, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति**

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 185 एवं 186 में कर्ज, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति से संबंधित शर्तों को संशोधित किया गया।

v) जनता से स्वीकृत जमा

प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने जनता से कोई भी जमा स्वीकार हीं किया तदनुसार कंपनी के लिए यह खंड लागू नहीं है।

vi) कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 148 के अंतर्गत लागत रेकॉर्ड का रख-रखाव

लागू नहीं।

vii) सांविधिक बकाया के संबंध में

क) एमसीएल से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए स्टाफ के अतिरिक्त कंपनी का अपना कोई स्टाफ नहीं है। अतः वर्ष के दौरान भविष्य निधि देय की कटौती एवं जमा लागू नहीं होता। पुनः चंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान उत्पादन एवं बिक्री शुरू नहीं किया है, अतः सरकार को कोई वैधानिक देय का भुगतान देय नहीं है।

ख) कंपनी के सभी रेवन्यु आय का लागत तथा व्यय इंटेंजेबुल ऐसेट के अंतर्गत होने के कारण विकास को इसके व्यवसायिक उत्पादन में नहीं रखा गया है। तदनुसार एफ.डी.आर. पर बैंक व्याज की कमाई भी लागत अनुसार ही मानी जाती है। फिर भी आयकर विभाग ने इसे रेवन्यु आय माना है तथा यह तथ्य आयकर विभाग के अपीलीय प्राधिकारी के पास अभी भी लंबित है।

viii) बैंक या वित्तीय संस्थान से ली गई ऋण की अदायगी में चूक

कंपनी ने किसी संस्था या बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है, अतः खंड लागू नहीं होता।

ix) पैसे आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे की सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से(ऋण उपकरणों सहित) और अवधि के ऋण जिस उद्देश्य के लिए उठाये गए है, उनपर लागू है।

कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे की सार्वजनिक पेशकश(ऋण उपकरणों सहित) और अवधि के ऋण के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता।

x) वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग (तरीका तथा राशि)

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी पर या द्वारा किसी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

xi) प्रबंधकीय पारिश्रमिक

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

xii) निधि कंपनी से संबंधित प्रावधान

लागू नहीं।

xiii) कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 177 तथा 188 के तहत् पार्टी के लेन-देन से संबंधित अनुपालन

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पार्टी से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं किया गया है।

xiv) वर्ष के दौरान प्राथमिक आवंटन और शेयर या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के प्राइवेट प्लेसमेंट

कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राथमिक आवंटन और शेयर या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है।

xv) निदेशकों तथा उनके साथ जुड़े सदस्यों के साथ गैर नकद लेन-देन

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी के निदेशकों या उनके साथ जुडें सदस्यों के साथ गैर नकद लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है।

xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 के अनुभाग 45-आई.ए. के अंतर्गत पंजीकरण

लागू नहीं।

कटक
दिनांक: 24.04.2019

कृते एम.के. स्वाई एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. संख्या **: 323045ई**
ह/-
सनदी लेखाकार मनोज कुमार स्वाई
साझेदार
सादस्यता संख्या: 057573

एम.के. स्वाईं एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार

एच/ओ सोमनाथ प्रहराज
द्वितीय तल, सतीचौरा रोड,
चाँदनीचौक, कटक-753002
ई-मेल:**ssm2709@gmail.com**

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश / उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड, अंगुल के लेखा खातों का परीक्षण किया है और यह प्रमाणित करते है कि हमें जारी किए गए सभी निर्देश / उप-निर्देशों का पालन किया है।

कटक
दिनांक: 24.04.2019

कृते एम.के. स्वाई एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजी. संख्या **: 323045ई**

ह/-
सी ए मनोज कुमार स्वाई
साझेदार
सदस्यता संख्या: 057573

एम.के. स्वाईं एण्ड असोसियट्स

सनदी लेखाकार

एच/ओ सोमनाथ प्रहराज
द्वितीय तल, सतीचौरा रोड,
चाँदनीचौक, कटक-753002
ई-मेल:**ssm2709@gmail.com**

अनुलग्नक – ख

कंपनी: एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड
अनगुल, ओडिशा
वित्तीय वर्ष: 2018-2019

कंपनी अधिनियम, 2013 के 143(5) के सी एंड जी कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रतिवेदन

क्र	निर्देश	वैधानिक लेखा परीक्षक का जवाब
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर के खातों की विश्वसनीयता पर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ को वित्तीय निहितार्थ, के साथ बताया जा सकता है, यदि कोई हो।	जैसा कि सूचित किया गया है कि कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित की कोई व्यवस्था नहीं है।
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के छूट / राइट ऑफ का मामला हुआ है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	हमें दी गई जानकारी के अनुसार, लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिये गए कर्ज / ऋण / ब्याज आदि की छूट / राइट ऑफ के मामले नहीं थे।
3.	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशि का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी को केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य नहीं है। इसलिए उपयोग का सवाल ही नहीं उठता।

कटक
दिनांक: 24.04.2019

कृते एम.के. स्वाई एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. संख्या **: 323045ई**
ह/-
सी ए मनोज कुमार स्वाई
साझेदार
सादस्यता संख्या: 057573

एम.के. स्वाईं एण्ड असोसियट्स

सनदी लेखाकार

एच/ओ सोमनाथ प्रहराज
द्वितीय तल, सतीचौरा रोड,
चाँदनीचौक, कटक-753002
ई-मेल:**ssm2709@gmail.com**

अनुलग्नक – ग

वर्ष 2018-19 **के लिए कोल इंडिया लिमिटेड**, **इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों के लिए कंपनी अधिनियम**, 2013 **की धारा** 143 (5) **के तहत अतिरिक्त निर्देशों के अनुसार प्रतिवेदन।**

कंपनी**:** एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड
अनगुल**,** ओडिशा

वित्तीय वर्ष**: 2018-19**

क्र.संख्या	**जारी निर्देश**	**वैधानिक लेखा परीक्षक का जवाब**
1	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय / विभाजन / पुनः संरचना के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन अभ्यास किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किसी क्षेत्र का विलय / विभाजन / पुन: संरचना नहीं किया गया है।

कटक
दिनांक: 24.04.2019

कृते एम.के. स्वाई एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. संख्या **: 323045ई**
ह/-
सी ए मनोज कुमार स्वाई
साझेदार
सादस्यता संख्या: 057573

अनुलग्नक-घ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड(i) के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण प्रतिवेदनः

31 मार्च 2019, कंपनी के रूप में एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड (द कंपनी) के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक मानक लेखांकन वित्तीय विवरण के संयोजन के रूप में हमारे इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का हमने लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्वः-

भारतीय चार्टड अकाउंटेन्ट संस्थान(आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना एवं स्थापित करना, कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत् डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव एवं कार्यान्वयन, व्यापार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम, सटीकता एवं लेखा-अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समय पर तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर आपना मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम की धारा-143(10) के तहत् निर्दिष्ट एवं आई.सी.ए.आई द्वारा जारी किया गया लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन(मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रहें है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन प्रभाव के बारे में हमारे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने के लिए मौजूदा सामग्री की कमजोरी से होने वाली जोखिम का आंकलन करना। डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिंम के आंकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षा में शामिल किया गया है।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे भारतीय मानक वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है । कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो (1)अभिलेखों के रखरखाओं से संबंधित जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएँ (2) स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों व्यक्तवों की तेयारी की अनुमति, आवश्यक लेनदेन के लिए उचित आस्वाषन प्रदान करते है तथा कंपनी के निदेशक एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियाँ एवं ब्यय किया जा रहा है ।(3)अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, व कंपनी की संपत्ति जिसका भारतीय मानक वित्तीय विवरण पर प्रभावों होसकता है, का समयपर पता लगाना एवं रोक-थाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं:-

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से**,** नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित**,** त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री की गड़बड़ी हो सकती है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही**,** भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं जो कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है**,** या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

मत

हमारी राय में, कंपनी के पास वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और 31 मार्च 2019 के अनुसार ऐसे वित्तीय प्रतिवेदन पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर स्थापित किए गए थे। कंपनी ने चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया है।

कटक
दिनांक: 24.04.2019

कृते एम.के. स्वाई एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. संख्या **: 323045ई**
ह/-
सी ए मनोज कुमार स्वाई
साझेदार
सादस्यता संख्या: 057573

अनुलग्नक-क

<u>स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक</u>

अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकता हेतु हमारे प्रतिवेदन की तिथि पैरा-1 निर्दिष्ट अनुलग्नक में की गई है।

i) स्थायी परिसंपति के संबंध में :

यह कंपनी उपलब्ध सूचना के आधार पर संख्यात्मक ब्यौरा तथा अस्थाई परिसंपति सहित तथ्यों को दर्शाते हुए वांछित रिकार्ड का रख-रखाव करता है।

जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी के वित्तीय वर्ष के दौरान अस्थाई परिसंपति का

चरणबद्ध आकृतितात्मक रुप से व्यस्थापन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है जिसमें हमारे से तथ्यमूलक रूप से कंपनी के आकार तथा संपदा की प्रकृति को ध्यान में रखा गया है।

अचल संपत्ति का टाइटल डीड कंपनी के नाम से है।

वास्तविक विवरण

ii) माल के संबंध मेः

वर्ष के दौरान कंपनी के पास कलपुर्जों एवं कच्चे माल का कोई भंडार नहीं है। अतः प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान इसकी प्रत्यक्ष जांच नहीं की गई।

वास्तविक विवरण

iii) कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 189 के अंतर्गत पार्टी का कर्ज तथा अग्रिम

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 189 के अंतर्गत पार्टी को कोई कर्ज या अग्रिम इस वर्षावधि में नहीं दिया गया जिसका विवरण अद्योलिखित हैः-

क) लागू नहीं

ख) लागू नहीं

ग) लागू नहीं

वास्तविक विवरण

iv) **कर्ज, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति**

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 185 एवं 186 में कर्ज, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति से संबंधित
शर्तों को संशोधित किया गया।

वास्तविक विवरण

v) जनता से स्वीकृत जमा

प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने जनता से कोई भी जमा स्वीकार हीं किया तद्नुसार कंपनी के लिए यह खंड लागू नहीं है।

वास्तविक विवरण

vi) कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 148 के अंतर्गत लागत रेकॉर्ड का रख-रखाव

लागू नहीं।

वास्तविक विवरण

vii) सांविधिक बकाया के संबंध में

क) एमसीएल से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए स्टाफ के अतिरिक्त कंपनी का अपना कोई स्टाफ नहीं है। अतः वर्ष के दौरान भविष्य निधि देय की कटौती एवं जमा लागू नहीं होता। पुनः चंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान उत्पादन एवं बिक्री शुरू नहीं किया है, अतः सरकार को कोई वैधानिक देय का भुगतान देय नहीं है।

ख) कंपनी के सभी रेवन्यु आय का लागत तथा व्यय इंटेंजेबुल ऐसेट के अंतर्गत होने के कारण विकास को इसके व्यवसायिक उत्पादन में नहीं रखा गया है। तद्नुसार एफ.डी.आर. पर बैंक व्याज की कमाई भी लागत अनुसार ही मानी जाती है। फिर भी आयकर विभाग ने इसे रेवन्यु आय माना है तथा यह तथ्य आयकर विभाग के अपीलीय प्राधिकारी के पास अभी भी लंबित है।

वास्तविक विवरण

viii) बैंक या वित्तीय संस्थान से ली गई ऋण की अदायगी में चूक

कंपनी ने किसी संस्था या बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है, अतः खंड लागू नहीं होता।

वास्तविक विवरण

ix) पैसे आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे की सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से(ऋण उपकरणों सहित) और अवधि के ऋण जिस उद्देश्य के लिए उठाये गए है, उनपर लागू है।

कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे की सार्वजनिक पेशकश(ऋण उपकरणों सहित) और अवधि के ऋण के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता।

वास्तविक विवरण

x) वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग (तरीका तथा राशि)

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी पर या द्वारा किसी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

वास्तविक विवरण

xi) प्रबंधकीय पारिश्रमिक

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

वास्तविक विवरण

xii) निधि कंपनी से संबंधित प्रावधान

लागू नहीं।

वास्तविक विवरण

xiii) कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 177 तथा 188 के तहत् पार्टी के लेन-देन से संबंधित अनुपालन

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पार्टी से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं किया गया है।

वास्तविक विवरण

xiv) वर्ष के दौरान प्राथमिक आवंटन और शेयर या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के प्राइवेट प्लेसमेंट

कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राथमिक आवंटन और शेयर या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है।

वास्तविक विवरण

xv) निदेशकों तथा उनके साथ जुड़े सदस्यों के साथ गैर नकद लेन-देन

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी के निदेशकों या उनके साथ जुडें सदस्यों के साथ गैर नकद लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है।

वास्तविक विवरण

xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 के अनुभाग 45-आई.ए. के अंतर्गत पंजीकरण

लागू नहीं।

वास्तविक विवरण

कटक
दिनांक: 24.04.2019

कृते एम.के. स्वाई एण्ड असोसीयट्स
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. संख्या **: 323045ई**

ह/-
सी ए मनोज कुमार स्वाई
साझेदार
सादस्यता संख्या: 057573

फार्म संख्या एम.आर.-3

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

{कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम संख्या.9 व कंपनी अधिनियम (निजी नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) 2014 के खंड 204(1) के अनुसरण में}

प्रति
सदस्यगण
एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड
हाउस नं. 42 (प्रथम तल), आनंद नगर
हाकिमपाड़ा, पोस्ट ऑफिस, अनगुल, अनगुल-759143, ओडिशा

मैं/हमने मेसर्स एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड(तत्पश्चात इसे कंपनी कहा गया है) द्वारा निगम प्रथाओं के अवलंबन में लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया गया। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार किया गया कि उससे निगम आचरणों/वैधानिक अनुपालनों तथा उनपर हमारी राय जाहिर करने का एक यथोचित आधार प्राप्त हुआ।

सचिवीय लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी उसके अधिकारियों, एजेंट और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के अनुसार कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और दायर विवरणों और अन्य रिकॉर्ड की जॉच के आधार पर हमने अपनी राय के अनुसार प्रतिवेदित किया हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित अवधि में निम्न सूचीस्थ वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया तथा कंपनी के पास निम्नानुसार यथोचित बोर्ड-प्रक्रियाएं व अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं।
मैं/हमने कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रखी हुई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों व दायर विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जॉच निम्न प्रावधानों के अनुसार किया-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत बनाये गए नियम।

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956('एससीआरए') और उसके अधीन बनाये गए नियम, आलोच्य अवधि के प्रतिवेदन **पर लागू नहीं है।**

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और अधिनियम के अधीन बने नियम और उपनियम, आलोच्य अवधि के प्रतिवेदन **पर लागू नहीं है।**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बने नियम और विनियम, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं, आलोच्य अवधि के प्रतिवेदन **पर लागू नहीं है।**

(v) अधिनियम, 1992(''सेबी अधिनियम'') के तहत निर्धारित अधिनियम व दिशा निर्देश, आलोच्य अवधि के प्रतिवेदन **पर लागू नहीं है।**

क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, अधिनियम, 2011, आलोच्य अवधि के प्रतिवेदन **पर लागू नहीं है।**

ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेनिंग का निषेध) अधिनियम, 1992, आलोच्य अवधि के प्रतिवेदन **पर लागू नहीं है।**

ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं जारी करना) नियमन, 2009, आलोच्य अवधि के प्रतिवेदन **पर लागू नहीं है।**

घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी शेयर विकल्प योजना व कर्मचारी शेयर क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999, आलोच्य अवधि के प्रतिवेदन **पर लागू नहीं है।**

ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का सूचीकरण व जारीकरण) नियमन, 2008 आलोच्य अवधि के प्रतिवेदन **पर लागू नहीं है।**

च) कंपनी अधिनियम व पक्षकारों के साथ निपटान संबंधी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (शेयर जारीकरण व अंतरण अभिकर्ता के पंजीयक) नियमन, 1993 आलोच्य अवधि के प्रतिवेदन **पर लागू नहीं है।**

छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) नियमन 2009 आलोच्य अवधि के प्रतिवेदन **पर लागू नहीं है।**

ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूति वापसी क्रय) नियमन 1998, आलोच्य अवधि के प्रतिवेदन **पर लागू नहीं है।**

(vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट शासन पर दिशानिर्देश।

vii) निम्नलिखित उद्योग विशिष्ट कार्यक्रमों के तहत विभिन्न विभागों द्वारा कंपनी के निर्देशक मंडल को प्रस्तुत आवधिक प्रमाण पत्र के आधार पर तथा कंपनी द्वारा परीक्षण किये गए दस्तावेजों एवं अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर अनुपालन और प्रक्रियाएं सत्यापित की जा रही है:

क. खान अधिनियम, 1952
ख. खान रियायत नियमावली, 1960
ग. खान बचाव नियम, 1985
घ. खान व्यवसायिक प्रशिक्षण नियमावली, 1966
ड़. खान (पोस्टिंग ऑफ एब्सट्रेक्ट) नियमावली, 1954
च. खान और खनिज (विकास विनियम) अधिनियम, 1957
छ. भारतीय विद्युत नियमावली, 1985
ज. भारतीय विस्फोटक नियमावली, 2008
झ. कोयला खान विनियम, 1957
ञ. कोयला खान संरक्षण और विकास अधिनियम, 1974
ट. कोयला खान पेंशन योजना, 1998
ठ. कोयला खान भविष्य(विविध प्रावधान) अधिनियम, 1948
ड. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
ढ़. जल(प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम), 1974
ण. वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981
त. मजदूरी का भुगतान (खान) नियमावली, 1956
थ. अनर्जित मजदूरी का भुगतान (खान) नियमावली, 1959
द. मातृत्व लाभ (खान) नियमावली, 1963
ध. कोयलरी कंट्रोल ऑर्डर, 2000
न. कोयलरी कंट्रोल नियमावली, 2004
प. इंडियन ब्यूरों ऑफ माइंस(इलेक्ट्रिकल पर्यवेक्षक और इलेक्ट्रिशियन) भर्ती नियमावली, 1990

मैंने/हमने निम्नालिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की हैः

i. भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक.

ii. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा लिस्टिंग समझौते में प्रवेश किया गया. **(लागू नहीं)**

मैंने/हमने वित्तीय कानूनों के अनुपालन और वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों के रखरखाव पर प्रतिवेदन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैधानिक लेखा परीक्षा के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कंपनी के लिए लागू अधिनियम, नियम, विनियम, डी.पी.आई. दिशानिर्देश, सचिवीय मानक इत्यादि के प्रावधानों का पालन किया गया है।

मैंने/हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि, कंपनी के निदेशक मंडल विधिवत् गठित किये गए हैं और समीक्षाधीन अवधि के दौरान किये गए निदेशक मंडल की संचरना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों और प्रकटीकरण के अनुपालन के अनुसार किये गए थे तथा जिसकी बोर्ड को जानकारी थी और कंपनी द्वारा उचित बोर्ड प्रक्रिया का पालन किया गया था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बोर्ड की बैठक के कार्यसूची को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को सूचना दी गई है और कार्यसूची पर विस्तृत सूचना कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और कार्यसूची वस्तुओं पर आगे की जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद हैं। बोर्ड एवं समिति की बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए कार्यवृत्त में बहुमत निर्णय सर्वसम्मति से और विधिवत् दर्ज किये जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

नोटः यह रिपोर्ट वर्तमान तिथि के हमारे पत्र के साथ पढ़ी जानी है, जिसे अनुलग्नक-क के रूप में संलग्नित किया गया है, जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

दिनांक: 01.05.2019
स्थान: अनगुल

राघव गर्ग और एसोसियेट्स के लिए
कंपनी सचिव

ह/-
सी.एस. राघव गर्ग(ए.सी.एस.)
(प्रोपराइटर), सदस्यता संख्या- 51644, सी.पी संख्या- 18834

अनुलग्नक-क

प्रति
सदस्यगण
एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड
हाउस नं. 42 (प्रथम तल), आनंद नगर
हाकिमपाड़ा पोस्ट ऑफिस, अनगुल, अनगुल- 759143, ओडिशा

इस पत्र के साथ इसी तारीख तक की हमारी प्रतिवेदन को पढ़ी जाये।

1) सचिवीय रिकार्ड के रख-रखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इस सचिवीय रिकार्ड पर राय व्यक्त करने के लिए है।
2) हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता की सुनिश्चतता के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवीय अभिलेखों में परिलक्षित तथ्यों की सत्यता जांच के आधार पर सुनिश्चित किया गया। हमारा विश्वास है कि हमने अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिन प्रक्रियाओं व पद्धतियों का पालन किया है, वे तदाशय में एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3) हमने कंपनी के खाते की सत्यता और वित्तीय अभिलेखों का औचित्य और किताब सत्यापित नहीं किया है।
4) हमने कानूनों, नियमों और विनियमन के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के होने के बारे में आवश्यकतानुसार प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5) कॉर्पोरेट के प्रावधान और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा जांच के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित था।
6) सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन न तो कंपनी के भविष्य में व्यवहार्यता के लिए और न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है।

दिनांक: 01.05.2019
स्थान: अनगुल

राघव गर्ग और एसोसियेट्स के लिए
कंपनी सचिव

ह/-
सी.एस. राघव गर्ग(ए.सी.एस.)
(प्रोपराइटर), सदस्यता संख्या- 51644, सी.पी संख्या- 18834

31.03.2019 के अनुसार तुलन पत्र

(`. लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
परिसंपत्तियाँ			
गैर- चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	3,739.21	3,826.41
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति	4	2,293.48	2,204.60
(ग) अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ	5	1,531.92	1,531.92
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6	-	-
(ड़) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii)ऋण	8	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	-	-
(च) स्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		-	-
(छ) अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियाँ	10	11.32	-
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियाँ (क)		**7,575.93**	**7,562.93**
चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तु सूची	12	-	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	13	-	-
(iii) नकद एवं नकद समकक्ष	14	1,654.29	1,604.12
(iv) अन्य बैंक शेष	15	-	-
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	50.86	46.32
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		110.29	99.47
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	144.25	132.11
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (ख)		**1,959.69**	**1,882.02**
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		**9,535.62**	**9,444.95**

31.03.2019 के अनुसार तुलन पत्र

(`. लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	9,510.00	9,510.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	(101.32)	(101.32)
कुल इक्विटि (क)		**9,408.68**	**9,408.68**
देयताएँ			
गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	-	-
(ख) प्रावधान	21	-	-
(ग) अन्य गैर-चालू देयताएँ	22	-	-
कुल गैर-चालू देयताएँ (ख)		**-**	**-**
चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) व्यापार देय	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	123.62	33.13
(ख) अन्य चालू देयताएँ	23	0.15	0.45
(ग) प्रावधान	21	3.17	2.68
कुल चालू देयताएँ (ग)		**126.94**	**36.27**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ (क+ख+ग)		**9,535.62**	**9,444.95**

साथ के टिप्पण संख्या 1 से 38 वित्तीय विवरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

हमारी रिपोर्ट के अनुसार **बोर्ड की ओर से**

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	ह/-	ह/-
(एस.राउत)	**(जी.ए रामाकृष्णन)**	**(एम.ब्रह्मपुरकर)**	(ओ.पी सिंह)	(के.आर वासुदेवन)
कंपनी सचिव	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ महाप्रबंधक**	**निदेशक** डीआईएन- 07627471	अध्यक्ष डीआईएन- 07915732

ह/-
(यू.एन पडा)
क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,मेसर्स एम.के.स्वाइन अँड असोसिएट
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन– 323045ई

ह/-
सीए एम.के.स्वाइन
साझेदार.एम.संख्या-057573

दिनांक: 24.04.2019
स्थान: सम्बलपुर

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(`. लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन से राजस्व			
क. विक्रय(उत्पाद शुल्क को छोड़ कर निवल संवेधिक लेवी)		-	-
ख.अन्य परिचालन राजस्व (उत्पाद शुल्क के अलावा निवल सांविधिक शुल्क)		-	-
(I) प्रचालन से राजस्व (क+ख)		-	-
(II) अन्य आय		-	-
(III) कुल आय (I+II)		-	-
(IV) व्यय			
खपत सामग्री की लागत		-	-
निर्मित माल की वस्तु-सूची//कार्य प्रगति में परिवर्तन एवं व्यापार में स्टॉक		-	-
उत्पाद शुल्क		-	-
कर्मचारी लाभ व्यय		-	-
ऊर्जा व्यय		-	-
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय		-	-
मरम्मत		-	-
संविदात्मक व्यय		-	-
वित्त लागत		-	-
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि व्यय		-	-
प्रावधान		-	-
बट्टे खाते में डालना		-	-
स्त्रीपिंग गतिविधि समायोजन		-	-
अन्य व्यय			
कुल व्यय (IV)		-	-
(V)असाधारण मद एवं कर पूर्व पहले लाभ (I-IV)		-	-
(VI) असाधारण मद		-	-
(VII) कर पूर्व लाभ (V-VI)		-	-
(VIII) कर व्यय		-	-
(IX) सतत प्रचालन अवधि के लिए लाभ(VII-VIII)		-	-
(X)बंद प्रचालन से लाभ/(हानि)		-	-
(XI) बंद प्रचालन के कर व्यय		-	-
(XII) बंद प्रचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
(XIII) संयुक्त उद्यम में शेयर/सहयोगियों के लाभ/(हानि)		-	-
(XIV) अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)		-	-
अन्य व्यापक आय			
क (i)मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
(ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
ख (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
(ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत किया जायेगा।		-	-
(XV) कुल अन्य व्यापक आय		-	-

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(`. लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(XVI)अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV)(अवधि के लिए लाभ (हानि) अन्य व्यापक आय शामिल)		-	-
लाभ के लिए जिम्मेदार :			
कंपनी के स्वामित्व		-	-
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
		-	**-**
कुल व्यापक आय के कारण :			
कंपनी के स्वामि		**-**	**-**
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
		-	**-**
कुल व्यापक आय के कारण :			
कंपनी के स्वामी		-	-
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
		-	**-**
(XVII) प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालन हेतु):			
(1)मौलिक		-	-
(2) मंदित		-	-
(XVIII) प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (बंद प्रचालन हेतु):		-	-
(1) मौलिक		-	-
(2) मंदित		-	-
(XIX) प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत एवं बंद प्रचालन):		-	-
(1) मौलिक		-	-
(2) मंदित		**-**	**-**

संगत टिप्पण वित्तीय विवरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

साथ के टिप्पण संख्या 1 से 23 वित्तीय विवरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
(एस.राउत
कंपनी सचिव

ह/-
(जी.ए रामाकृष्णन)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(यू.एन पंडा)
क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक

ह/
(एम.ब्रह्मपुरकर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ महाप्रबंधक

उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स एम.के स्वाईं एवं असोसियट्स सनदी लेखाकार
फ़र्म- पंजीकरण संख्या- 323045 ई
ह/-
(सी.ए एम.के स्वाईं)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 057573

बोर्ड की ओर से

ह/-
(ओ.पी सिंह)
निदेशक
डीआईएन- 07627471

ह/-
(के.आर. वासुदेवन)
अध्यक्ष
डीआईएन- 07915732

दिनांक: 24.04.2019
स्थान: सम्बलपुर

संचालित गतिविधियों से नगद प्रवाह (अप्रत्यक्ष विधि)

(` लाख में)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
संचालित गतिविधियों से नगद प्रवाह			
कर से पहले कुल व्यापक आय		-	-
समायोजन के लिए :		-	-
अचल परीसंपत्तियों की हानि/ मूल्यह्रास		-	-
बैंक जमा से प्राप्त ब्याज		-	-
वित्तीय गतिविधि से संबन्धित वित्तीय लागत		-	-
निवेश से ब्याज/ लाभांश		-	-
संपातियों की बिक्री पर लाभ/हानि		-	-
किए गए प्रावधान और अवधि के दौरान बट्टा खाता		-	-
अवधि के दौरान देयता का प्रतिलेखन		-	-
अग्रिम स्ट्रिपिंग गतिविधियों का समायोजन		-	-
चालू/गैर-चालू परिसंपतियों और देनदरियों से पूर्व परिचालन लाभ ।		**-**	**-**
समायोजन के लिए:			
व्यापार स्वीकार्य		-	-
वस्तुसूची		-	-
लघु/दीर्घ अवधि ऋण/ अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपातियाँ		(38.81)	61.52
लघु/दीर्घ अवधि देयताएँ एवं प्रावधान		90.66	(864.11)
प्रचालन से नगद प्राप्ति		**51.85**	**(802.59)**
आय कर का भुगतान / वापसी		-	-
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगद प्रवाह	**(क)**	**51.85**	**(802.59)**
निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह			
अचल परिसंपत्तियों की खरीद		(1.68)	(2.65)
बैंक जमा मे निवेश		-	-
निवेश में बदलाव		-	-
संयुक्त उद्यम में निवेश		-	-
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज		-	-
निवेश से ब्याज/लाभांश		-	-
निवेश गतिविधियों से निवल नगद	**(ख)**	**(1.68)**	**(2.65)**

वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह

उधार का पुनः भुगतान		-	-
लघु अवधि उधार		-	-
		-	-
स्थानांतरण और पुनर्वाश निधि की प्राप्ति		-	-
		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी का पुन: क्रय		-	-
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**(ग)**	**-**	**-**
नगद एवं बैंक शेष में निवल वृद्दि/(कमी) (क+ख+ग)		**50.17**	**(805.24)**
नगद और बैंक शेष (प्रारंभिक शेष)		**1,604.12**	**2,409.36**
नगद और बैंक शेष (अंतिम शेष)		**1,654.29**	**1,604.12**

(कोष्टक के सभी आंकड़े आउटफ्लो को दर्शाते हैं)

हमारे रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

ह/-
(एस.राऊत)
कंपनी सचिव

ह/-
(जी.ए. रामकृष्ण)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(एम. ब्रहमपुरकर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/महाप्रबंधक

ह/-
(यू.एन.पंडा)
क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक

बोर्ड की तरफ से

ह/-
(ओ.पी.सिंह)
निदेशक
डीआईएन-07627471

ह/-
(के.आर.वसुदेवन)
अध्यक्ष
डीआईएन-07915732

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,मेसर्स एम.के.स्वाइन अँड असोसिएट सनदी
लेखाकर
एफ़आरएन– 323045ई

ह/-
सीए एम.के.स्वाइन
साझेदार.एम.संख्या-057573

दिनांक: 24.04.2019

स्थान: सम्बलपुर

31-03-2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क) इक्विटी शेयर पूंजी

(`. लाख में)

विवरण	दिनांक 01.04.2017 तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2018 तक शेष	दिनांक 01.04.2018 तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2019 तक शेष
	-	-	-	-	-	-

ख) अन्य इक्विटी

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय(अधिशेस)	अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	पूंजी रिजर्व				
दिनांक 01.04.2017 तक शेष	-	-	-	(101.32)	-	(101.32)
अन्य समायोजन			-	-		
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान हुई त्रुटि	-	-	-	-	-	-
दिनांक 01.04.2017 तक पुन: वर्णित	**-**	**-**	**-**	**(101.32)**	**-**	**(101.32)**
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (निवल कर)	-	-	-	-	-	-
<u>विनियोजन</u>						
सेवानिवृत्त आय (मुख्यालय) में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व को /से हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2018 तक शेष	**-**	**-**	**-**	**(101.32)**	**-**	**(101.32)**
अवधि के दौरान योग	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (निवल कर)	-	-	-	-	-	-
<u>विनियोजन</u>	-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्त आय (मुख्यालय) में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व को /से हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2019 तक शेष	**-**	**-**	**-**	**(101.32)**	**-**	**(101.32)**

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 1 कॉर्पोरेट जानकारी

एम.जे.एस.जे कोल लिमिटेड, एक सार्वजनिक उद्यम उपक्रम है, जिसका मुख्यालय ओड़िशा राज्य के अनगुल जिले में स्थित है, जिसे 13 अगस्त, 2008 को शामिल किया गया था, जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की 60% सहायक कंपनी है।
कंपनी मुख्य रूप से कोयले के खनन और उत्पादन में लगी हुई है।कंपनी विकास के चरण में है। समूह संरचना की जानकारी टिप्पणी संख्या 24 में वर्णित है।

टिप्पणी 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार-:

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, समूह का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

एम.जे.एस.जे कोल लिमिटेड(इसके बाद उसे कंपनी कहा जाए) ने 31 मार्च 2016 तक के सभी अवधि के लिए इसी दिन समाप्त वर्ष को शामिल करते हुए एम.सी.एल समेकित (इसके बाद समूह के रुप में संदर्भित) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133, सहपठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अनुच्छेद 7 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक (ए.एस) तथा कंपनी (लेखांकन मानक) 2006 के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है।
वित्तीय विवरण, उचित मूल्य पर पैमानित कतिपय लागत के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुसार तैयार किया गया है, सिवाय

- वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को पारम्परिक लागत आधारित मूल्य पर तैयार किया गया है।
- निर्धारित लाभ योजनाएँ - उचित मूल्य पर मापी गई संपत्ति;
- कीमतों की सूचीया एनआरवी जो भी कम हो।है (अनुच्छेद संख्या2.21 में लेखांकन नीति देखें)।

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

जब तक अन्यथा संकेत नहीं किया गया हो, इन वित्तीय विवरणों में राशियों को दशमल के दो प्वाइंट तक 'रुपए लाख' में' पूर्ण अंकों में दिखाया गया है।

2.2 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण:

कंपनी अपने तुलन-पत्र में चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब,:

क. यह सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूले अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है।

ख. यह परिसंपत्ति को मुख्य तौर पर व्यापार के उद्देश्य के लिए रखती है

ग. यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति के वसूली की अपेक्षा रखती है अथवा

घ. परिसंपत्ति नकद समकक्ष (लेखांकन नीति 7 में यथा-परिभाषित) रुप में तब तक रहती है जब तक परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय किए जाने या देयता के निपटान के लिए उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी के द्वारा किसी देयता को चालू के रुप में तब माना जाता है जब:

क. यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपतान की अपेक्षा रखती है।

ख. इसकी देयता मुख्य तौर पर व्यपार के लिए होती है।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर बकाये देयता का निपटान किया जाना है अथवा,

घ. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार इसके पास नहीं है (अनुच्छेद 73 का अवलोकन करे) । प्रतिरुप के विकल्प पर किसी देयता के जो नियम इक्विटी-विपत्रों को जारी करके इसके निपटान के फलस्वरुप हो सकते थे, वे इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 राजस्व मान्यता

भारतीय मानक लेखांकन 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले राजस्व भारतीय मानक लेखांकन 11 और भारतीय मानक लेखांकन 18 राजस्व मान्यता का अधिक्रमण करता है, और यह अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय मानक लेखांकन 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले राजस्व के लिए एक पांच-चरण मॉडल स्थापित करता है और उसके लिए यह आवश्यक है कि वह राजस्व एक राशि पर मान्य हो जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवायें हस्तांतरित करने के लिए कंपनी एक्सचेंज के लिए हकदार होने की उम्मीद रखती हो ।

कोल इंडिया लिमिटेड ('CIL' या 'कंपनी') ने अभिग्रहण करने की पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करते हुए भारतीय मानक लेखांकन 115 को अपनाया है।

भारतीय मानक लेखांकन 115 के लिए संस्थाओं के अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए को निर्णय लेने कि आवश्यकता होती है । मानक, अनुबंध के वृद्धिशील लागतों को प्राप्त करने और अनुबंध को पूरा करने से संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

कोल इंडिया लिमिटेड एक भारतीय राज्य नियंत्रित उद्यम है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत और दुनिया में सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को मान्यता तब दी

जाती है जब माल या सेवाओं पर नियंत्रण एक राशि पर मान्य हो जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवायें हस्तांतरित करने के लिए कंपनी एक्सचेंज के लिए हकदार होने की उम्मीद रखती हो । कंपनी ने समान्यतः निष्कर्ष निकाला है कि यह अपने राजस्व व्यवस्था में श्रेष्ठ है क्योंकि यह सामान या सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले प्ररूप की भांति नियंत्रित करता है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान:

क) ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी तभी ज़िम्मेदारी लेती है जब ग्राहक निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:

ख) अनुबंध के पक्षकारों को अनुबंध को स्वीकार करना होता है और वे अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं;

ग) कंपनी स्थानांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

घ) अनुबंध में वाणिज्यिक विषय (यानी, अनुबंध के प्रत्याशित बदलाव स्वरूप जोखिम, समय,कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि); और

ड.) यह संभव है कि कंपनी उस विचार करेगी जिसके लिए वह ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं हेतु एक्स्चेंज के लिए हकदार होगा। तय की गई राशि जिस पर कंपनी हकदार होगी, वह अनुबंध में निर्दिष्ट कीमत से कम हो सकती है, यदि तय की गई राशि परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धन वापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह पारितोषिक प्रदान किए जा सकते

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या दो से अधिक अनुबंधों को समेकित करती है यदि एक ही ग्राहक द्वारा एक ही समय में या एक ही समय के आस-पास अनुबंध दाखिल की जाती है (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) और अनुबंध एक एकल अनुबंध के रूप में मान्य होगा, यदि निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता है

क) एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एकमुश्त में अनुबंधों तय की जा सकती है;

ख) अनुबंध में भुगतान किए जाने वाले तय राशि दूसरे अनुबंध के निष्पादन या कीमत पर निर्भर करती है; या

ग) अनुबंध में तय किए गए वस्तु या सेवायें (या प्रत्येक अनुबंध में तय किए गए कुछ वस्तु या सेवाएं) एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अलग अनुबंध के रूप में अनुबंध संशोधन के लिए उत्तरदायी है यदि निम्न दोनों स्थितियां मौजूद हैं:

अनुबंध की गुंजाइश बढ़ जाती है क्योंकि तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं से यदि वे अलग हों,

अनुबंध की कीमत तय की गई कीमत से बढ़ सकती है यह कंपनी की स्टैंड-अलोन अतिरिक्त तय की गई वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्यों और उस मूल्य के कोई उपयुक्त समायोजन जो विशेष अनुबंध के परिस्थितियों को दर्शाता हो।

चरण 2: निष्पादन दायित्वों की पहचान:

अनुबंध करते समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को प्रत्येक प्रतिबद्धता को स्थानांतरित करने के लिए निष्पादन बाध्यता रूप में पहचान करने के लिए:

क) वस्तुओं या सेवाओं (वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो अलग है; या

ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक एक समान होती है और ग्राहक के लिए स्थानांतरण का समान पैटर्न होता है।

लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी अनुबंध की निबंधन और लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए उसके प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं अनुबंध की शर्तों का ध्यान रखती है। लेन-देन का मूल्य तय की गई वह राशि है, जिसके बारे में कंपनी उम्मीद करती है कि वह तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने हेतु एक्स्चेंज के लिए हकदार होगी। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध में तय किए गए प्रतिबद्धता में नियत राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

- लेन-देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों का ध्यान रखती है:
- परिवर्तनीय स्वीकार्यता;
- परिवर्तनीय निर्णय के आकलन;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद निर्णय;
- ग्राहक को देय निर्णय

बट्टा , छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान पारितोषकों के कारण तय की गई राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी भविष्य में होने वाली घटना के होने या न होने पर विचार करती है तो प्रतिबद्ध निर्णय भी भिन्न हो सकता है ।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सारांश के अनुसार दंड की गणना की जाती है। जहां लेन-देन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह परिवर्तनीय निर्णय का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित परिवर्तनीय निर्णय की राशि को शामिल करती है जिससे अत्यधिक संभावना है कि t मान्य संचयी राजस्व की राशि में में एक महत्वपूर्ण व्युत्क्रम तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय निर्णय से जुड़ी अनिश्चितता कों बाद में दूर किया जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो ।

कंपनी प्रतिदाय दायित्व को स्वीकार करती है यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है और कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है। प्रतिदाय दायित्व को प्राप्त भुगतान (या प्राप्य) की उस राशि के आधार पर तय किया जाता है, जिसके लिए कंपनी स्वत्वाधिकारी की उम्मीद नहीं करती है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि) प्रतिदाय दायित्व (और लेन-देन मूल्य में संगत परिवर्तन और , इसलिए, अनुबंध दायित्व) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध की प्रारंभ होने के बाद, लेनदेन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस भुगतान की राशि को बदल सकती, जिसके लिए कंपनी प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक्स्चेंज में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण4 : लेन-देन मूल्य का आवंटन:

लेन-देन मूल्य का आवंटन करते समय कंपनी का उद्देश्य कंपनी के लिए प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या अलग-अलग वस्तुओं या सेवा) के लिए उस राशि पर लेनदेन मूल्य आवंटित करना है जो इसमें कंपनी को ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के लिए एक्स्चेंज में कंपनी द्वारा अपेक्षित हकदार होने की भुगतान की गई राशि को प्रदर्शित करती है।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5 : राजस्व को मान्यता देना :

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्थानांतरित करके निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। वस्तु या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या जैसे) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय पर वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, और इसलिए, कंपनी समय पर निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

क) ग्राहक कंपनी के साथ-साथ कंपनी के निष्पादन द्वारा प्राप्त लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है, जैसा कि कंपनी प्रदर्शन करती है;
ख)कंपनी का निष्पादन संपति सृजित करता है या बढ़ाता है और जितनी संपति सृजित या बढ़ाई जाती है, उतना ही ग्राहक उसे संपति के रूप में नियंत्रित करता है

ग)कंपनी का निष्पादन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ आस्ति सृजित नहीं करती है तो कंपनी को अब तक के निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन बाध्यता को समय पर पूरा करने लिए, कंपनी उस निष्पादन बाध्यता की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रख कर समय पर राजस्व को मान्यता देती है। कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन बाध्यता की प्रगति को आँकने के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में हमेशा लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आंकलन करता है।
कंपनी अनुबंध के अंतर्गत तय किए गए शेष सामानों या सेवाओं के सापेक्ष ग्राहक को स्थानांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए उत्पाद पद्धति लागू को करती है। उत्पाद पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि , व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियां शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी निष्पादन बाध्यता के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने की प्रगति के अपने उपाय को अद्यतन करती है।कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी सिर्फ समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता के लिए राजस्व को मान्यता देती है, यदि जब कंपनी निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आंकलन यथोचित रूप से करती है। जब (या जैसे) निष्पादन बाध्यता पूरा हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित होता है।

यदि निष्पादन बाध्यता समय पर पूरा नहीं है, तो कंपनी एक समय में निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं पर

नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार होता है;
ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा कानूनी हक होता है;
ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे को स्थानांतरित कर दिया है;
घ) ग्राहक के पास महत्वपूर्ण जोखिम और वस्तु या सेवा के स्वामित्व होता हैं;
ड.) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है।
जब अनुबंध के लिए किसी पार्टी ने निष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर अनुबंध को अनुबंध आस्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपति :

एक अनुबंध संपति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के एक्स्चेंज में निर्णय का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अनुबंध आस्ति अर्जित निर्णय के लिए मान्यता प्राप्त है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्ति :
कंपनी स्वीकार करने योग्य विचारो का प्रतिनिधित्व करता है जो शर्तरहित है अर्थात् देय भुगतान से पूर्व) (केवल समय की अपव्ययता है

अनुबंध देयताएं:
अनुबंध देयता ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व रखती है जिससे कंपनी को ग्राहक के विचार प्राप्त होते (या विचार की राशि देय है)है। ग्राहक के विचार करने से पूर्व कंपनी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करती है, जब भुगतान किया जाता है या देय जो भी पहले) तब अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है (हो।

2.4 सरकार से अनुदान
सरकारी अनुदान तब तक स्वीकार नहीं किये जाएंगे जब तक कि उचित आश्वासन न हो की कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और निश्चित रूप से अनुदान प्राप्त करेगी।

सरकारी अनुदान लाभ और हानि के विवरणों से व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है जिसके लिए कंपनी को संबंधित लागतों का खर्च अनुदान की क्षतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाएगी।

अनुदान को स्थगित आय के रूप में स्थापित करने के द्वारा संपत्ती से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन-पत्र पर प्रस्तुत किया गया है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है

सामान्य शीर्षक 'अन्य आय ' के तहत आय(जैसे संपत्ति के अतिरिक्त अन्य अनुदान) से संबंधित अनुदान लाभ व हानि के हिस्से के रुप में प्रस्तुत किया गया है।.

सरकारी अनुदान जो खर्च या नुकसान के मुआवजे के रूप में प्राप्य होते है या भविष्य में संबंधित लागत को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से, उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें यह प्राप्य हो जाते है।

सरकारी अनुदान या प्रवर्तक योगदान का सीधा संबंध "संपत्ति कोष" से है जिसे मान्यता प्राप्त है जो "शेयरधारकों के फंड" का हिस्सा है।

2.5 पट्टे

वित्त पट्टा एक पट्टा है जो मूलतः परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रुप से सभी जोखिमों और पुरस्कारों को हस्तांतरित करता है। शीर्षक का स्थानांतरण किया भी जा सकता है अथवा नहीं भी।

प्रचालन पट्टा एक पट्टा होने के अलावा एक वित्त पट्टा भी है।

2.5.1 एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टे को आरंभिक रूप में वित्त पट्टे या ऑपरेटिंग पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.5.1.1 पट्टे के प्रारंभ में **वित्त पट्टों** को शुरुआती समय में पट्टे पर संपत्ति के उचित मूल्य या, यदि निम्न, न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे का भुगतान वित्त प्रभारों तथा कमी की देयता के बीच विभाजित किया जाता है ताकि शेष राशि की देयता पर स्थायी दर प्राप्त हो सके।

लाभ और हानि के विवरणानुसार वित्त प्रभार को लागत द्वारा मान्यता प्राप्त है, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रुप से योग्य परिसंपत्तियां नहीं खरीदते हैं, इस मामले में वह उधार लेनदेन की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किए जाते हैं।

संपत्ति के उचित उपयोग को पट्टे युक्त परिसंपत्ति क्षीण करती है तथापि यदि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी तो परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग तथा पट्टे की अवधि को संपत्ति क्षीण करती है।

2.5.1.2 परिचालित पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप में किए गए व्यय के आधार पर स्वीकार किये जाते है, जबतकि निम्न में से एक न हो :

क. अन्य व्यवस्थित आधार उपयोगकर्ताओं के लाभ के समय के स्वरूप का प्रतिनिधि करता है भले ही कम भुगतानकर्ताओं का भुगतान उस आधार पर ना किया गया हो या,

ख. पट्टादाता के अपेक्षित मुद्रा स्थिति की लागत में रियायत प्राप्त होने के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के पट्टादाता को किए गए भुगतान के रूप में उसे संचारित किया जाता है। यदि पट्टादाता को किए गए भुगतान सामान्य मुद्रास्फीति से भिन्न हो तो, यह शर्त नहीं मानी जाएगी।

2.5.2 पट्टेदाता के रुप में कंपनी

परिचालन पट्टे : परिचालन पट्टे (सेवा राशि यथा बीमा पट्टा तथा रख-रखाव को छोड़कर) से पट्टे आय को आय के रूप में स्वीकृत किया जाता है जो सीधे तौर पर परिपाटी के पट्टे की शर्तों पर आधारित रहती है, जिसमें

क. अन्य पद्धतिपरक की तुलना में समय प्रणाली अधिक होती है जब पट्टा का भुगतान उस आधार पर नहीं होता है या

ख. इसका भुगतान इस रूप में संरचित होता है कि सामान्य अवमूल्यन की स्थिति में भी अनुमानित प्रतिपूरक लागत का अवमूल्यन मूल्य बिना व्यवधान के समायोजित हो। यदि पट्टा का भुगतान अवमूल्यन की तुलना में काफी प्रतिपूरक रहता है तो इस स्थिति में यह व्ययित नहीं होता है।

समझौता तथा परिचालन पट्टे में किया गया प्रारंभिक व्यय को सीधे पट्टा परिसंपत्ति के साथ शेष राशि में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि पट्टा आय के रूप में प्रारंभिक पट्टा के शर्तों के अनुरूप निष्पादित किया गया हो।

.

वित्तीय पट्टा के अंतर्गत बकाये राशि को दर्ज किया जाता है जिसमें कंपनी के पट्टे में सीधे निवेश की गई प्राप्ति के साथ उसे जोड़ दिया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लेखा के गणना की अवधि में दर्ज किया जाता है, जिसमें पट्टा के अतिरिक्त बकाये निवेश को निरंतर आवृत्तिमूलक रुप में दर्शाया जाता है।

2.6 बिक्री हेतु गैर-चालू संपत्ति

कंपनी गैर चालू संपत्तियों और(या निपटान समूह) को वर्गीकृत एवं बिक्री हेतु आयोजित करती है यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो । विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए । प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

इस उद्देश्य के लिए यह बिक्री लेनदेन विनिमय गैर चालू संपत्ति से अन्य गैर चालू संपत्ति में भी किया जा सकेगा जो व्यवसायिक प्रयोजनार्थ लागू होता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में

तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा।

संपत्ति या निष्पादन कंपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब:

- एक उचित स्तरीय प्रबंधन परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो।
- खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने हेतु एक कारगर कार्यक्रम की पहल की गई हो।
- वर्तमान के उचित मूल्य की तुलना में समुचित मूल्य हेतु बिक्री हेतु परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) के लिए सक्रिय रुप से बाजार ढूंढ जा रहा हो।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: पूरी हो तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो तो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई):

भूमि पारम्परिक लागत पर ली जाती है। पारम्परिक लागत में वह व्यय भी शामिल है जो संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और क्षतिपूर्ति आदि जैसे भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है।

पहचान किये जाने के उपरांत,सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के एक मद को लागत मॉडल के तहत किसी संचित अवमूल्यन एवं किसी सचित क्षतिकर नुकसानों को घटाकर इसकी लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद की लागत में ये शामिल हैं:

क. इसके खरीद मूल्य में व्यावसायिक छोट व कटौती को घटाने के बाद आयात शुल्क एवं गै-वापसी योग्य खरीद-कर शामिल है।

ख. प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परिचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक परिसंपत्ति को लाने में प्रत्यक्ष कारक कोई लागत है।

ग. सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थल तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे कंपनी ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। फिर भी कंपनी मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने हेतु पी.पी.ई. के समुपयोगी मद के साथ जीवनोपयुक्त तथा मूल्यह्रास विधि को तय करती है।

मरम्मत और रख-रखाव के लिए उल्लेखित दिन-प्रतिदिन की अनुरक्षण की कीमतें, जो उस अवधि में लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें उस पर खर्च किया जाता हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद के संबंधित महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की कीमत मद के वर्तमान कुल राशि में स्वीकार किए जाते हैं, अगर संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनियता से मापा जा सकता है, तो जिन भागों को विस्थापित किया गया है, उनमें वर्तमान राशि को नीचे अस्वीकरण नीति के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब बड़े निरीक्षण किए जाते हैं, तो इसकी कीमत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सामान के प्रतिस्थापन राशि के रुप में पहचानी जाती है, यदि यह संभावित है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीयता उसे मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष वर्तमान राशि को अस्वीकार कर दिया जाता है।

संपत्ति संयंत्र या उपकरण का कोई भी अंश इसके साथ सम्मिलित किये जाने पर उसे असंबद्ध कर दिया जाएगा या भविष्य में कोई भी लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन सम्पत्तियों के निरंतर व्यवहार से अपेक्षित रहा हो। किसी तरह का लाभ या नुकसान संपत्ति संयंत्रों या उपकरणों के इन विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष में इनका लाभ या नुकसान समझा जाएगा।

पूर्ण-स्वामित्व की भूमि के अलावा सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण तथा संपत्ति के अनुमानित जीवन के अनुसार संरेखीय आधार पर लागत मॉडल के अनुसार प्रदान की जाती है:

अन्य भूमि (पट्टेकृत भूमि सहित)	-	परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि जो भी कम हो
भवन	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	8-10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का यह मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवन उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस अवधि में प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद करता है।इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची॥ के भाग के तहत निर्धारित संपत्ति का उपयोगी जीवन परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर, परिसंपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है जैसेकि, कोयलाटब, घुमावदाररस्सियाँ, ढलानरस्सियाँ, स्टोविंगपाइप और सुरक्षा लैंपआदि, जो तकनीकी रूप से अनुमानित है, उपयोगी जीवन शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष निर्धारित किया गया है।

.

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत “अन्य भूमि” का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होते हैं और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित, उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति के संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं.

कंपनी द्वारा कतिपय संपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, वस्तु की आपूर्ति या कंपनी के अद्यतन आवश्यक होता है। संपत्ति संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इनैवैलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

2.8 <u>खदान बंदी, कार्यस्थल का जीर्णोद्धार एवं डिकमीस्निंग बाध्यताएँ -</u>

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनिन खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा जोखा तथा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आंकलन मुद्रा

स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटती है, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आंकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।.

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है। .

आगे,अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए विशिष्ट एस्क्रों निधि लेखा बनाई गई है।

कुल खान बंद करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और न उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.9 <u>अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ -</u>

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती है। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है:

- समन्वेषणके अधिकारों का अधिग्रहण;
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा का शोध एवं विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भूभौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन

इसके बाद के संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान भी शामिल है।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/ अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता का निर्धारण को लंबित रखते हुए परियोजना द्वारा परियोजना के आधार पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है तथा उसे गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में उन्हें संचित प्रावधान के कम लागत पर मापा जाता है।

एक बार प्रमाणित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास " में स्थानांतरित की गई है। हालांकि, यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई परिसंपत्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.10 <u>विकास व्यय -</u>

प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृत निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत पहचाने जाते हैं तथा "विकास" शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है एवं सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

<u>वाणिज्यिक संचालन :</u>

परियोजना रेपोर्ट में स्पष्ट रुप से उल्लेखित शर्तों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर परियोजना वाणिज्यिक तौर पर सततता के आधार पर जब उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाती तो परियोजना/खानों को राजस्व के लिए लाया जाता है:

क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% वास्तविक उत्पादन जिस वर्ष परियोजना से होता है, उस वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से, अथवा

ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष बाद अथवा

ग) उस वर्ष के बाद वाली वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिस में उत्पादन का मूल्य कुल खर्चों से अधिक होता है।

उपर्युक्त में जो भी पहले घटित हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना परिशोधित की जाती है।

2.11 <u>अमूर्त परिसंपत्तियाँ -</u>

अलग से अधिग्रहित की गई अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारम्भिक लागत पर मापा जाता है। व्यापार सन्योजन/व्यावसायिक संगठन में अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि को उनका उचित मूल्य होता है। प्रारम्भिक मान्यता का अनुसरण करते हुए अमूर्त परिसंपत्तियों को किसी

संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के दौरान स्ट्रेट लाइन बेसिस पर परिकलित) एवं संचित हानिकरण क्षति, यदि कोई है, से कम लागत पर लिए जाते हैं।

विकास लागत को छोड़कर, आंतरिक रुप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नही किया जाता है। बल्कि संबंधित व्यय को लाभ हानि विवरण एवं जिस अवधि में खर्च हुआ है, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण सीमित या असीमित के रुप में किया जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान परिशोधित कर दिया जाता है तथा जब कभी यह संकेत होता है कि अमूर्त परिसंपत्ति हानिकारक हो सकती है, तो इसके हानिकरण के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित किसी अमूर्त परिसंपत्ति के लिए हानिकरण अवधि एवं हानिकरण विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा परिसंपत्ति में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित तरीकों में परिवर्तनों के लिए परिशोधन अवधि अथवा विधि में यथोचित संशोधन पर विचार किया जाता है। जिसे लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन के रुप में माना जाता है। सीमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

एक अमूर्त परिसम्पत्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती, अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।
किसी अमूर्त परिसंपत्ति के अस्वीकरण से होने वाले फायदे एवं नुकसान को परिसंपत्ति के निवल निपटान लाभ एवं वर्तमान राशि के बीच के अंतर के रुप में मापा जाता है और जो लाभ व हानि विवरण में मान्य होता है।

अंवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है (अर्थात, सीआईएल के निर्धारित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) तथा अमूर्त संपत्ति के रुप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

सॉफ्ट्वेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रुप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है

2.12 संपत्ति की हानि**(**वित्तीय संपत्ति के अतिरिक्त**)**

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों में कमी का आंकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि, परिसंपत्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जबतक परिसंपत्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो तो वह अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई परिसंपत्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है। हानि परीक्षण हेतु कंपनी व्यक्तिगत खदान के रुप में नकदी उत्पन्न इकाई पर विचार करती है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को उसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है तथा हानि, लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

2.13 <u>निवेश संपत्ति</u>

परिसंपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में विक्रय में निवेश की गई संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेशित संपत्ति का आंकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेनदेन लागत पर भी लागू किया जाता है।

निवेशित सम्पत्तियों को उनके अनुमानित कार्यशील जीवन पर स्ट्रेट लाइन पद्धति का प्रयोग करते हुए अवमूल्यित किया जाता है।

2.14 <u>वित्तीय दस्तावेज:</u>

वित्तीय दस्तावेज एक ऐसा अनुबंध है जो कि परिसंपत्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें लाभ या हानि के उचित मूल्य पर साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के विशेष रूप से अधिग्रहण के मामलों में एवं सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर पहचाना जाता है। खरीददारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात वह तिथि जिसमें कंपनी की संपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.15.2 <u>आगामी माप</u>

वित्तीय परिसंपतियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधनों के माध्यम से अन्य व्यापक आय। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.15.2.1 <u>परिशोधित लागत पर ऋण साधन</u>

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

क. परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और

ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिसपर ईआईआर के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है । लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीकार किया।

2.15.2.2 एफवीटीओसीआई में ऋण दस्तावेज:

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा किया जाता है तो "ऋण दस्तावेज" का एफवीटीओसीआई के रुप में वर्गीकृत किया जाता है:

क. व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों से पूर किया जाता है, और

ख. परिसंपत्तियों का संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई को निरुपित करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत आने वाले ऋण दस्तावेज का प्रारम्भिक तैर पर साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। उचित मूल्य के संचार को अन्य विस्तृत आय में मान्यता प्रदान की जाती है। हालांकि कंपनी ब्याज से होने वाली आय, क्षति से होने वाले नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि में स्वीकार करती है। परिसंपत्ति के अस्वीकार पर संचित लाभ अथवा हानि को पहले अन्य विस्तृत आय में मान्यता दी जाती थी, उसे लाभ व हानि के लिए इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया गया है। एफओटीओसीआई ऋण दस्तावेज से अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रुप में रिपोर्ट की गई है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल में ऋण दस्तावेज:

एफवीटीपीएल ऋण दस्तावेज के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। ऋण दस्तावेज जो परिशोधित लागत के रुप में अथवा एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एक ऋण दस्तावेज को निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रुप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा कराती है। हालांकि ऐसे चुनाओं की अनुमति सिर्फ तभी दी जाती है, जब माप या मान्यता असंगतता को कम करता है या समाप्त करता है (जिसे लेखाकरण बेमेल कहा जाता है) कंपनी ने किसी भी ऋण दस्तावेज को एफवीटीपीएल के रुप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ट्रुमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.15.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश:

भारतीय लेखांकन मानक 101 (भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहनीय राशि परिवर्तन तिथि पर मानी हुई लागत पर मान्य होगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश का मापन लागत पर होगा।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, भारतीय लेखांकन मानक 28 के अनुच्छेद 10 में निर्धारित अनुसार इक्विटी सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में इक्विटी निवेश को इक्विटी पद्धति के अनुसार लेखान्कित किया जाता है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मिलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी दस्तावेजों के लिए कंपनी उचित मूल्य में तत्पश्चात परिवर्तन को अन्य विस्तृत आय में प्रस्तुत करने के लिए चयन कर सकती है। कंपनी किसे दस्तावेज पर ऐसा चयनीत दस्तावेज आधार पर कर सकती है। वर्गीकरण आरंभिक स्वीकार्यता पर किया जाता है और जो कि अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी विपत्रों को वर्गीकृत करने का निर्णय करती है तब लाभांश को छोड़कर, दस्तावेज पर समस्त उचित मूल्य में परिवर्तित को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेशों की बिक्री होने पर भी ओ.सी.आई से पीएंडएल में राशियों को नहीं लाया जाएगा। तथापि कंपनी इक्विटी के भीतर संचित लाभ और हानि को स्थांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंदर समाविष्ट इक्विटी विपत्र पीएंडएल में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य में स्वीकार किए जाते हैं।

2.15.2.6 <u>गैर-मान्यता :</u>

एक वित्तीय परिसंपत्ति की (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) मान्यता को मुख्य रुप से तब समाप्त कर दिया जाता है (जैसे तुलन पत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो अथवा
- कंपनी ने परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित किया है या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया और या तो

क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है

या

ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित अवश्य किया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है अथवा निकासी व्यवस्था प्रारंभ किया है, तो यह मूल्यांकन करती है कि उसने स्वामित्व के जोखिमों एवं उपलब्धियों को किस हद तक अधिकार में बनाए रखा है। कंपनी ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही परिसंपत्ति के सभी उपलब्धियों व जोखिम को बनाए रखा है और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया है। जब तक कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित संपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। कंपनी द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार समूह निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए समूह अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि ऋण दस्तावेज है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बेलेन्स इत्यादि।

ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो ऋण दस्तावेज है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. प्राप्त पट्टे या नगद प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुबंध का अधिकार या उस लेनदेन के परिणामस्वरुप अन्य वित्तीय सहमति जो कि भारतीय लेखांकन मानक 11 तथा भारतीय लेखांकन मानक 18 के क्षेत्र के अंतर्गत है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया-:

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकरण दृष्टिकोण के उपयोग से समूह को क्रेडिट जोखिमों में ट्रैक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है।

2.15.3 वित्तीय देयताएं

2.15.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं माप-

कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देय, ऋण एवं बैंक ओवरड्राफ्ट सहित उधार शामिल है।

सभी वित्तीय देयताओं को शुरु में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार और देयताओं के मामले में सीधे निवेल आरोप्य लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है।

2.15.3.2 आगामी माप (अनुवर्ती)

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.15.3.3 वित्तीय देयताएँ लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर -

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को भी शामिल किया गया है। जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ड्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबतक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

लाभ व हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता और उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तारीख को उसी रुप में निर्दिष्ट किया जाता है एवं केवल तभी भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड को पूरा किया जाता है। एफवीटीपीएल के रुप में निर्दिष्ट देयताओं, अपने क्रेडिट जोखिमों में परिवर्तन लाने के लिए उचित मूल्य लाभ/हानि को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन लाभ/हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। हालांकि कंपनी इक्विटी के भीतर संचित लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयता को निर्दिष्ट नहीं किया है।.

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.15.3.5 गैर-मान्यता :

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुन:प्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करता है, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनः वर्गीकरण:

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है क्योंकि यह इक्विटी दस्तावेज एवं वित्तीय देनदारियां होती है। जो वित्तीय परिसंपत्तियों इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तथा वित्तीय देनदारियां होती है, उनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण दस्तावेज होती है, उनके लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन पर संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। व्यापार मंडल में ऐसे परिवर्तनों की अपेक्षा फिर से की जाती है। **कंपनी** का वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के लिए बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों जो **समूह** के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण है, के परिणामस्वरुप ही व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करती है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए साक्ष्य होते हैं। **कंपनी** अपने परिचालन के लिए किसी महत्वपूर्ण है गतिविधि की या तो शुरुआत करती है अथवा समाप्त करती है, तभी व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि **कंपनी** की परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो वह उस पुनर्वर्गीकरण को उसकी प्रत्याशित तिथि से लागू करती है जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन से पहले की रिपोर्टिंग अवधि की ठीक बाद का पहला दिन होता है। **कंपनी** पिछले स्वीकृति प्राप्तियों, नुकसानों (हानिकरण लाभ व हानि शामिल करते हुए) अथवा ब्याज को पुनः निश्चित नहीं करती है

निम्नलिखित सारणी विविध पुन:वर्गीकरण एवं उनके स्पष्टीकरण की प्रवधि दर्शाता है:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य का मूल्यांकन पुनर्वर्गीकरण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के भीच के अंतर को पीएंडएल में स्वीकार किया जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकरण की तारीख का उचित मूल्य इसके नये सकल पिछली शेष राशि बन जाती है। इसी नई सकल पिछली शेष राशि के आधार पर ईआईआर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में स्वीकार किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।

एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाएगा। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.15.5 वित्तीय विपत्रों की ऑफसेटिंग:

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और यदि स्वीकृत राशि के ऑफसेट का कानूनी अधिकार वर्तमान में प्रवर्तनीय हैं एवं परिसंपत्तियों की वसूली तथा देनदारियां दोनों का निवल आधार निपटान साथसाथ करने की प्रवृत्ति हो-, तो निवल राशि को समेकित तुलन-पत्र में लिखा जाता है।

2.16 उधार लागत:

जहां उधार लागत सीधे तौर पर क्वालिफाईंग परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, उन्हें छोड़कर यथावश्यक उधार लागत को खर्च किया जाता है, यानी वे परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं। इस मामले में उन्हें उस तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जिस तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए क्वालिफाईंग परिसंपत्ति तैयार होती है।

2.17 कर निर्धारण:

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और विलंबित कर के योग को दर्शाता है।

किसी खास अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि चालू कर है। लाभ एवं हानि एवं अन्य विस्तृत आय के विवरण में जैसा कि वर्णित "आयकर पूर्व लाभ" से करयोग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें उस आय के व्यय का मद शामिल हैं जो दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा कटौती योग्य होते हैं तथा इसमें वे मद शामिल हैं जो कभी करयोग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। चालू कर के लिए कंपनी की देनदारी का परिकलन कर की दरों का प्रयोग कर किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित किए गए हैं या वास्तविक रूप में अधिनियमित किए गए हैं।

सामान्य तौर पर आस्थगित कर देयताओं को सभी कर योग्य अस्थायी शेषों के लिए मान्यता दी जाती है। सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी शेष के लिए उस सीमा तक आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है कि करयोग्य लाभ मौजूद करने की संभाव्यता रहेगी जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी शेषों का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियां एवं देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है। यदि शेष सद्भाव अथवा लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देनदारियों से उत्पन्न हुआ है जो न तो करयोग्य लाभ को न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

जहां कंपनी अस्थायी शेष के विपर्यय को नियंत्रित करने में सक्षम है इसकी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी शेष को रिवर्स नही किया जाएगा, उसे छोड़ कर अन्य अनुषंगियों एवं एसोसिएट में निवेश से जुड़े करयोग्य अस्थायी शेष के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के निवेशों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी शेष से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं ब्याजों को उस सीमा तक तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे जिसके लिए अस्थायी शेषों के लाभों का उपयोग किया जा सकेगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पिछली शेष की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इसे उस सीमा तक घटा दी जाती है कि परिसंपत्तियों को संपूर्ण या इसके अंश की वसूली किए जाने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध करने रहने की संभावना अधिक न रहे। अस्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति का संपूर्ण या इसके अंश की वसूली की जा सके इसके लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा, इसकी संभावना बन चुकी हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को कर की दरों पर मापा जाता है तथा उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें देनदारी को निपटाया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है। ऐसा उस दर (टैक्स कानूनों) के आधार पर किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पारित किया गया हो।

आस्थगित कर देनदारियों एवं परिसंपत्तियों का मापन कर के परिणाम को दर्शाता है जिसे कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की शेष राशि की वसूली या निपटारा करने की अपेक्षा के अनुरूप तरीके से पालन किया गया है।

वर्तमान एवं आस्थगित कर को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब यह अन्य विस्तृत आय अथवा इक्विटी से सीधे तौर पर मान्य आइटम से संबंध रखते हों जिस मामले में वर्तमान और आस्थगित कर को भी क्रमश: अन्य विस्तृत कर अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो। जहां व्यवसाय सम्मिश्रण के लिए प्रारंभिक लेखाकरण से वर्तमान अथवा आस्थगित कर उत्पन्न होते हैं वहां व्यवसाय सम्मिश्रण के लिए लेखाकरण में कर के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी हितलाभ

2.18.1 अल्पकालिक लाभ

जिस अवधि में लाभ होते हैं उसी अवधि में कर्मचारियों के सभी अल्पकालिक लाभ को स्वीकार किया जाता है।

2.18.2 नियोजन के बाद एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

2.18.2.1 पारिभाषित अंशदायी योजनाएं:

भविष्य निधि एवं पेंशन के तहत **कंपनी** अलग सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) जिसका गठन कानून पारित कर किया गया हो और कंपनी कि अन्य किसी राशि के भुगतान करने के लिए विधिक या संरचनात्मक दायित्व नहीं होगी, के लिए रोजगार पश्चात लाभ एवं परिभाषित अंशदायी योजना है। परिभाषित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों के लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ खर्चे के रूप में माना जाता है उस अवधि के जिसके दौरान कर्मचारी सेवाएं देते हैं।

2.18.2.2 परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक परिभाषित लाभ योजना रोजगार के उपरांत की लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण (लाभ पर सीमा के साथ) परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में **कंपनी** के सकल दायित्व का के इस चालू बाजार मूल्य पर छूट की दर आधारित होती है। जिसकी परिपक्वता की तिथियां **कंपनी** के दायित्व की अवधि के लगभग होती एवं जिन मुद्रा में लाभ भुगतान की अपेक्षा है उस अवधि में वही मुद्रा प्रचलन में रहे।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं परिकलन भरावी लाभ राशि जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में अपनी सेवाओं के बदले अर्जित की है, उसके अनुमान से किया जाता है। लाभ को अपने वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए रियायत दी जाती है तथा उनके योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम कर दिया जाता है, यदि कोई ऐसा है तो। रिपोर्टिंग की तारीख को भारतीय प्रतिभूतियों परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक बैलेंस शीट पर अंकित होती है जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देनदारियां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनः मापन किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है।

इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (परिसंपत्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत परिसंपत्तिओं में परिवर्तन करती है। पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है। जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजना को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.19 विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपए आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा होने के कारण कंपनी ने अपने मुख्य संचालनों के लिए मुद्रा एवं कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रूप में प्रतिवेदित किया है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.20 स्ट्रीपिंग एक्टिविटी व्यय/समायोजन

खुली खदान में खनन के मामलों में खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया जा सके। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से आकलित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 लाख टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत् परिसंपत्ति एवं बैलेंस शीट की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है। :-

खान के ओबीआर का वार्षिक क्वांटम	विचलन की अनुमानित सीमाएं
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%

जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।

एक मिलियन टन से कम की क्षमता वाले खानों के मामले में, उपरोक्त नीति लागू नहीं की जाती है और वर्ष के दौरान होने वाली स्ट्रिपिंग गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.21 वस्तु सूची

2.21.1 कोयले का भंडार

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना प्रथम बार प्रथम पद्धति के माध्यम से होती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।

जहां बही भंडार तथा मापित भंडार के मध्य विभिन्नता +/ - 5 % तक है, वहां कोयला/कोक के बही भंडार को लेखा में लिया जाता है, तथा ऐसे मामले जहां यह अंतर +/- 5% से अधिक है, वहां मापित भंडार पर ही विचार किया जाता है। ऐसे भंडार का मूल्यांकन "शुद्ध प्राप्य मूल्य या लागत" जो भी कम हो, पर किया जाता है। कोयले को कोयला भंडार के भाग के लिए माना जाता है।

कोयला एवं कोक चूर्ण का मूल्यांकन लागत के न्यूनतम अथवा निवल प्राप्य मूल्य में किया जाता है तथा कोयले के भंडार के रुप में माना जाता है।
कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर के वाशरी और उनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.21.2 भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें कमजोर उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/डीलिंग कैप/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.21.3 अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों ,रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं परिसंपत्तियां

प्रावधान तब मान्य होते हैं जब कंपनी की पिछली घटना के परिणाम स्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त होती है और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक बैलेंस शीट पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लों आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सके तो दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना दूरस्थ नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व को केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और ये मान्यता यथोचित होती है।

2.23 उपार्जित शेयर

समय के अनुरूप बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जा सकती है।

2.24 निर्णय, आंकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरुप वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, आकलन और अभिधारणा की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रतिवेदित राशियों, वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के प्रकटीकरण तथा प्रतिवेधित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय राशि को प्रभावित करती है। जटिल एवं वास्तविक अनुमान को शामिल करते हुए लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में अभिधारणा के उपयोग का प्रकटीकरण किया गया है। समय - समय पर लेखांकन आकलन बदल सकता है। वास्तविक परिणाम उन आकलनों से भिन्न भी हो सकते हैं। चालू आधार पर आकलन तथा अंतर्निहित अभिधारणाओं की समीक्षा की जाती है। लेखानुमान के संशोधनों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें आकलनों को संशोधित किया जाता है तथा यदि यह महत्वपूर्ण है, तो वित्तेय विवरण की टिप्पणियों में उनके प्रभाव को प्रकट किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.24.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण -

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

क उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :

I. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना,

Ii. आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियों को परिलक्षित करना।

Iii. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,

Iv. विवेकपूर्ण होते हैं, तथा

V. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख. परिभाषित मानदंड और परिसंपत्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ -साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है।.

लेखांकन के प्रोद्भवन के आधार का उपयोग करते हुए वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं।

2.24.1.2 सामग्रियाँ -

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामाग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामाग्री का आंकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा समूह अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

2.24.1.3 परिचालन पट्टा -

कंपनी ने पट्टा अनुबंध को अपनाया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.24.2 आंकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों कि मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आंकलन और धारणाओं के आधर पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.24.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि -

यदि किसी परिसंपत्ति का पिछला मूल्य अथवा नकद उत्पादन इकाई अपनी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है जो अपने उचित मूल्य से अधिक और निपटान लागत से कम होता है एवं इसका मूल्य प्रयोग में है, तो वह हानि का संकेत है। हानि की जांच करने के उद्देश्य के लिए कंपनी विशेष खानों को अलग उत्पादन इकाइयों के रुप में मानती है। उपयोग की गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित

होती है। अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से नकदी प्राप्त किया जाता है और जो पुनर्गठन की गतिविधियों में शामिल नहीं होता है, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.24.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा -

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.24.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप -

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां -

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाएगा है।

2.24.2.6 खानों को बंद करने, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बंदी, साइट पुन;स्थापना व डिक्मीशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में रियायती दर, साइट पुन: स्थापना और डीकमिसनिंग तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी द्वारा निम्नलिखित धारणाओं के आधार पर परियोजना/खानों में डीसीएफ पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

- कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यथा-निर्दिष्ट प्रत हेक्टर अनुमानित लागत्।

छूट की दर (कर की दर से) मुद्रा के समयानुकूल मूल्य के मौजूदा बाजार मूल्यांकन और देयता के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाती हैं।

2.24 संक्षेपों का प्रयोग

क.	CGU	नगद उत्पाद इकाई (Cash generating unit)
ख.	DCF	रियायती नगद प्रवाह (Discounted Cash Flow)
ग.	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Other Comprehensive Income)
घ.	FVTPL	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Profit & Loss)
ङ.	GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त (Generally accepted accounting principal)
च.	Ind AS	भारतीय लेखांकन मानक (Indian Accounting Standards)
छ.	OCI	अन्य व्यापक आय(Other Comprehensive Income)
ज.	P&L	लाभ और हानि (Profit and Loss)
झ.	PPE	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (Property, Plant and Equipment)
ञ.	SPPI	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान (Solely Payment of Principal and Interest)
ट.	EIR	प्रभावी ब्याज दर (Effective Intrerest Rate)

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणिया

टिप्पणी-3 संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण

(`. लाख में)

	फ्रीहोल्ड लैंड	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/साइट पुनर्स्थापन लागत	भवन (जल आपूर्ति, रोड तथा पुलिया)	संयंत्र एवं उपकरण	पी एंड एम भंडार	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरणों	वाहन	हवाई-जहाज	अन्य आधार संरचना	परिसंपत्तियां का सर्वे ऑफ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:																
01.04.2017 के अनुसार	4,082.34	-	-	-	-	-	-	-	-	11.64	-	-	-	-	-	4,093.98
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.21)	-	-	-	-	-	(0.21)
31 मार्च,2018 के अनुसार	4,082.34	-	-	-	-	-	-	-	-	11.43	-	-	-	-	-	4,093.77
01.04.2018 के अनुसार	4,082.34	-	-	-	-	-	-	-	-	11.43	-	-	-	-	-	4,093.77
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च,2019 के अनुसार	4,082.34	-	-	-	-	-	-	-	-	11.43	-	-	-	-	-	4,093.77
संचित मूल्यह्रास और हानि																
01.04.2018 के अनुसार	171.58	-	-	-	-	-	-	-	-	6.67	-	-	-	-	-	178.25
वर्ष के लिए शुल्क	85.76	-	-	-	-	-	-	-	-	3.34	-	-	-	-	-	89.10
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	257.34	-	-	-	-	-	-	-	-	10.02	-	-	-	-	-	267.35
01 अप्रैल 2018 के अनुसार	257.34	-	-	-	-	-	-	-	-	10.02	-	-	-	-	-	267.36
वर्ष के लिए शुल्क	85.79	-	-	-	-	-	-	-	-	1.41	-	-	-	-	-	87.20
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	343.13	-	-	-	-	-	-	-	-	11.43	-	-	-	-	-	354.56
निवल वहन राशि																
31 मार्च 2019 के अनुसार	3,739.22	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	3,739.21
31 मार्च 2018 के अनुसार	3,825.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.41	-	-	-	-	-	3,826.41

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 4 : कैपिटल विप

(₹.लाख में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन संगरचना/ विकास	रेल कॉरिडोर विकास व्यय	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
01.04.2017 के अनुसार	-	-	-	2,105.64	-	-	-	2,105.64
योग	-	-	-	98.96	-	-	-	98.96
पूंजीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 के अनुसार	-	-	-	2,204.60	-	-	-	2,204.60
01.04.2018 के अनुसार	-	-	-	2,204.60	-	-	-	2,204.60
योग				88.88				88.88
पूंजीकरण								-
समायोजन / विलोपन								-
31 मार्च,2019 के अनुसार	-	-	-	2,293.48	-	-	-	2,293.48
प्रावधान और हानि								
01.04.2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
हानी	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	-	-	-		-
31.03.2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
								-
01.04.2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
हानी	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च,2019 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल वहन राशि								
31 मार्च,2019 के अनुसार	-	-	-	2,293.48	-	-	-	2,293.48
31.03.2018 के अनुसार	-	-	-	2,204.60	-	-	-	2,204.60

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 5 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹.लाख में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
01.04.2017 के अनुसार	1,531.92
परिवर्धन	-
पूंजीकरण	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	1,531.92
01.04.2018 के अनुसार	1,531.92
परिवर्धन	-
पूंजीकरण	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च,2019 के अनुसार	1,531.92
परिशोधन और हानि	
01.04.2017 के अनुसार	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-
01.04.2018 के अनुसार	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च,2019 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	
31 मार्च,2019 के अनुसार	1,531.92
31 मार्च,2018 के अनुसार	1,531.92

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 6 : अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹.लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेर	अमूर्त अन्वेषण परिसंपत्तियाँ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:				
01.04.2017 के अनुसार	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-
01.04.2018 के अनुसार	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 दिसम्बर 2018 के अनुसार	-	-	-	-
परिशोधन और हानि				
01.04.2017 के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-
01.04.2018 के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च,2019 के अनुसार	-	-	-	-
निवल वहन राशि				
31 मार्च,2019 के अनुसार	-	-	-	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 7 : निवेश

(₹.लाख में)

गैर चालू निवेश	शेयर / इकाइयों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
शेयरों में निवेश	-	-	-	-
अनुषंगी कंपनियों में शेयर			-	-
कुल (क)	-	-	-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)	-	-	-	-
कुल(ख)	-	-	-	-
सकल योग : (क+ख)	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:	.	-	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-	-	-

(₹.लाख में)

चालू

	इकाइयों की संख्या एनएवी (₹.में)		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
म्यूचुअल फ़ंड निवेश	-	-	-	-
कुल :	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 8 : ऋण

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर-चालू		
अन्य ऋण		
- सुरक्षित एवं अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित एवं अच्छा माना गया	-	-
- क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानी	-	-
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल	**-**	**-**
चालू		
अन्य ऋण		
- सुरक्षित एवं अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित एवं अच्छा माना गया	-	-
- क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानी	-	-
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर चालू		
बैक जमा	-	-
उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति जमा	-	-
घटावः संदेहास्पद जमा के लिए भत्ता	-	-
	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	-	-
घटावः संदेहास्पद जमा एवं प्राप्य हेतु भत्ता	-	-
चालू		
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		-
अर्जित ब्याज	50.86	46.32
दावे और अन्य प्राप्य	-	-
घटावः संदेहास्पद दावों के लिए भत्ता	-	-
कुल	**50.86**	**46.32**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 10 : अन्य गैर- चालू परिसंपातियाँ

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(i) पूंजीगत अग्रिम	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	**-**
(ii)पूंजीगत विकास के अलावा अन्य अग्रिम		
(क)उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति जमा	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	**-**
(ख) अन्य जमा एवं अग्रिम	11.32	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु जमा	-	-
	11.32	**-**
(ग)संबंधित पार्टियों को अग्रिम	-	-
कुल	**11.32**	**-**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(क) राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तु एवं सेवा)	-	-
घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(ख)सांविधिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	-
घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(ग)सबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	-	-
(घ) अन्य अग्रिम एवं जमा	144.25	128.73
घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	144.25	128.73
(ङ) प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	3.39
घटाव:प्रावधान	-	-
	-	3.39
कुल	**144.25**	**132.11**

टिप्पणी - 12 :वस्तुसूची

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(क) कोयले का स्टॉक	-	-
विकासाधीन कोयला	-	-
कोयले का स्टॉक (निवल)	**-**	**-**
(ख)भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (लागत)	-	-
जुड़ावो : मार्गस्थ भंडार	-	-
भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक(लागत पर)	**-**	**-**
(ग)कर्मशाला संबंधी कार्य	-	-
कुल	**-**	**-**

मूल्यांकन की विधि: टिप्पणी संख्या 2.21 के संदर्भ - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां पर "बस्तुसूची"

अनुलग्नक टिप्पणी - 12

(मात्रा लाख टन) (₹ लाख में)

वर्ष के अंत में 31.03.2019 तक बुक स्टॉक के साथ लेखा में अपनाए गए अंतिम स्टॉक का मिलान करना

	समय स्टॉक		विक्रय के अयोग्य स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1. (क) 01.04.17 को प्रारंभिक स्टॉक			-	-	0	0.00
(ख) 5% से अधिक कमी			-	-	-	-
लेखा में अपनाए गए स्टॉक	-	-			-	0.00
2. अवधि के दौरान उत्पादन		-	-	-	0	0.00
3. उप योग (1क+2)	-	-	-	-	-	-
4. अवधि के दौरान ऑफ-टेक						
(क) बाहर प्रेषण			-	-	0	0.00
(ख) वाशरियों के लिए कोयला	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत			-	-	0	0.00
कुल(क)	-	-	-	-	0	0.00
5. व्युत्पन्न स्टॉक	-		-	-	0	0.00
6. मापी गई स्टॉक			-	-	0	0.00
7. अंतर (5-6)	-	-	-	-	0.00	-
8. अंतर का वर्गीकरण:						
(क) 5% के भीतर			-	-	0.00	0.00
(ख) 5% के भीतर कमी			-	-	0.00	0.00
(ग) 5% से अधिक	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक कमी			-	-	-	-
9. लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक	-	-	-	-	0.00	0.00
लेखा में .(6-8क+8ख)						

कोयले के अंतिम स्टॉक का सारांश **तालिका:ख**

	कच्चा कोयला				परिष्कृत कोयला/अपरिष्कृत कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		नन-कोकिंग		कोकिंग		नन-कोकिंग					
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक (लेखा-परीक्षित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5% से अधिक कमी			-	-							-	-
घटाव: विक्रय के अयोग्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समंजित प्रारंभिक (स्टॉक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऑफ टेक												
(क) बाहर प्रेषण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समापन स्टॉक व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाव: कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अधिक			-	-								
अंतिम स्टॉक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

आंतरिक सर्वेक्षण मापन दल ने कोयले के अंतिम स्टाक की वास्तविक जॉच की है। कुछ क्षेत्रों में इसे बाहरी दल के द्वारा समीक्षा की गई है। वास्तविक जॉच में यदि बुक स्टाक से +/- 5% तक का अंतर होता है तो लेखांकन नीति के तहत उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 13 : व्यापार प्राप्य

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
चालू		
व्यापार प्राप्य	-	-
- सुरक्षित एवं अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित एवं अच्छा माना गया	-	-
- क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानी	-	-
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 14 : नगद एवं नगद समतुल्य

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(क) बैंक के साथ शेष		
- जमा खाते में	-	-
- चालू खाते में		
(क) वहन ब्याज(सीएलटीडी)	1,654.12	1,570.80
(ख) गैर ब्याज वहन	0.17	33.32
- नगद क्रेडिट खाते में	-	-
(ख) भारत के बाहर बैंक शेष	-	-
(ग) चेक, ड्राफ्ट एवं मोहर के साथ	-	-
(घ) हाथों में नगद	-	-
(ड़) भारत के बाहर नगद	-	-
(च) अन्य	-	-
कुल नगद एवं नगद समतुल्य	1,654.29	1,604.12
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
कुल नगद एवं नगद समकक्ष (कुल बैंक ओवरड्राफ्ट)	**1,654.29**	**1,604.12**

1. बैंक में नगद एवं नगद समकक्ष, तीन माह व उससे अधिक के मूल परिपक्वता, स्वीप खाता एवं जमा शर्त आदि शामिल हैं ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
टिप्पणी- 15 : अन्य बैंक शेष

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
बैंक के साथ शेष		
- जमा लेखा	-	-
	-	-
- जमा लेखा (विशेष उदेश्य के लिए निम्नकित टिप्पणी देखे)		
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी - 16 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹.लाख में)

प्राधिकृत	**31.03.2019 के अनुसार**	**31.03.2018 के अनुसार**
प्रत्येक रु. 10/- के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,000.00	20,000.00
	20,000.00	**20,000.00**
जारी की गई , सदस्यता ली गई एवं चुकाई गई		
प्रत्येक रु. 10/- के 9,51,00,000 इक्विटी शेयर	9,510.00	9,510.00
	9,510.00	**9,510.00**

1. प्रत्येक शेयरधारक के 5% शेयर के साथ कंपनी के शेयर

शेयरधारक का नाम	**आयोजित शेयर की संख्या (प्रत्येक रु. 10 का अंकित मूल्य)**	**कुल शेयर का %**
एमसीएल (नियंत्रक कंपनी)	57060000	60
जेएसडबल्यू स्टील लिमिटेड	10461000	11
जेएसडबल्यू एनर्जी लिमिटेड	10461000	11
जिंदल स्टैनलेस लिमिटेड	8559000	9
श्याम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड	8559000	9
कुल	95100000	

2. वर्ष के दौरान कंपनी ने ना तो कोई शेयर जारी किया है और ना ही वापस

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

₹.लाख में)

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	बनाए गए अर्जन (अधिशेष)	अन्य व्यापक आय	कुल इक्विटी
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	पूंजी रिजर्व*				
दिनांक 01.04.2017 तक शेष	-	-	-	(101.32)	-	(101.32)
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-		-
पूर्व अवधि समायोजन	-	-	-	-	-	-
दिनांक 01.04.2017 तक पुन:वर्णित शेष	-	-	-	**(101.32)**	-	(101.32)
अवधि के दौरान जोड़/प्रतिधारित कमाई से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	-	-	-
निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्भुगतान (कर का निवल)	-	-	-	-	-	-
विनियोग						-
प्रतिधारित आय (मुख्यालय) में अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 को बकाया के अनुसार	-	-	-	**(101.32)**	-	(101.32)
अवधि के दौरान जोड़/प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	-	-	-
निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्भुगतान (निवल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोग						-
प्रतिधारित आय (मुख्यालय) में अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2019 को बकाया के अनुसार	-	-	-	**(101.32)**	-	**(101.32)**

* इक्विटी में परिवर्तन का विवरण भी देखें।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 18: उधार

₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर-चालू		
अवधि ऋण	-	-
अन्य बैंक	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	**-**	**-**
वर्गिकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
चालू		
ऋण मांग पर दावा		
- बैंक से	-	-
-अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	**-**	**-**
वर्गिकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 19 :व्यापार प्राप्य

₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार भुगतान	-	-
व्यापार के लिए अन्य भुगतान	-	-
-भंडार और पुर्जों	-	-
-ऊर्जा एवं ईंधन	-	-
वेतन, मजदूरी और भत्ते के लिए देयता	-	-
अन्य लागत	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी:

1.अन्य: (प्रमुख मदें)	-	-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बकाया राशि की अवधि तथा ब्याज यदि कोई हो

अवधि	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
15 दिनों के भीतर बकाया	-	-
16 से 30 दिनों के भीतर बकाया	-	-
31 से 45 दिनों के भीतर बकाया	-	-
45 दिनों से अधिक बकाया	-	-
कुल एमएसएमई लेनदार		

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय दायितायें

₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर चालू		
प्रतिभूति जमा	-	-
बयाना राशि	-	-
अन्य	-	-
	-	**-**
चालू		
एमसीएल के साथ चालू खाते	110.21	17.82
जेएसडबल्यू एनर्जि लिमिटेड	2.23	2.23
एसएमईएल	1.48	1.48
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	-
अभुक्त लाभांश	-	-
प्रतिभूति जमा	3.36	3.36
बयाना राशि	1.61	1.61
अन्य	4.73	6.63
कुल	**123.62**	**33.13**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 21 : प्रावधान

₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
ग्रैच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
- अन्य कर्मचारी हितलाभ	-	-
	-	**-**
स्थल पुनर्स्थापना/खदान बंदी[1]	-	-
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	-	-
अन्य	-	-
कुल	**-**	**-**
चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
ग्रैच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
अनुग्रहपूर्वक	-	-
निष्पादन सबंधित वेतन	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	3.17	2.68
एनसीडबल्यूए-X	-	-
- अधिकारी वेतन संशोधन	-	-
	3.17	**2.68**
भूमि/साइट पुनर्स्थापना/ खदान बंदी की घोषणा 1	-	-
अन्य	-	-
कुल	**3.17**	**2.68**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 22 :अन्य गैर चालू देयताएँ

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
स्थगित आय	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी- 23 : अन्य चालू देयताएं

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
पूंजीगत व्यय	-	-
सांविधिक देय	0.15	0.45
ग्राहकों से अग्रिम / अन्य	-	-
अन्य देयताएं	-	-
कुल	**0.15**	**0.45**

टिप्पणी-24: 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. उचित मूल्य मापन

क. वर्गवार वित्तीय साधन (₹लाख में)

	31मार्च 2019			31मार्च 2018		
	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीटीओसीआई	परिशोधित लागत	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-
निवेश :	-	-	-	-	-	-
सुरक्षित बॉन्ड	-	-	-	-	-	-
अधिमानी शेयर इक्विटी घटक - ऋण घटक	-	-	-	-	-	-
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	-	-	-	-	-	-
अन्य निवेश	-	-	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-	-	-
जमा एवं प्राप्य			50.86			46.32
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-
नगद एवं नगद समतुल्य			1654.29			1604.12
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-
उधार	-	-	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	-	-	4.97	-	-	4.97
अन्य देयताएं	-	-	118.65	-	-	28.16

ख. उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसले एवं अनुमान को नीचे दी गई तालिका दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है। (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है।

(₹ लाखमें)

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया -आवर्ती उचित मूल्य मापन	**31 मार्च2019**			**31 मार्च 2018**		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-
निवेश	-	-	-	-	-	-
म्यूचुअल फ़ंड/आईसीडी	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-
मद, यदि कोई हो	-	-	-	-	-	-

(₹ लाख में)

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयतायोंको परिशोधित लागत पर मापा गया तथा जिसके लिए उचित मूल्य का उल्लेख दिनांक **31** मार्च, 201**8** की समाप्ति पर किया गया ।	**31मार्च 2019**			**31 मार्च 2018**		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तरI	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय संपत्तियां	-	-	-	-	-	-
निवेश	-	-	-	-	-	-
अधिमानी शेयर - इक्विटी घटक - ऋण घटक	-	-	-	-	-	-
अन्य निवेश	-	-	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-	-	-
जमा एवं प्राप्य			50.86			46.32

व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-
नगद एवं नगद समतुल्य			1654.29			1604.12
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-
अधिमानी शेयर	-	-	-	-	-	-
उधार	-	-	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	-	-	4.97	-	-	4.97
अन्य देयताएँ	-	-	118.65	-	-	28.16

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्याकंन किया गया है। जिसमें रिपोर्टिंग दिनांक के अनुसार म्यूअचल फंड का मूल्यांकन एनएवी समापन का उपयोग कर किया गया है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग कर किया जाना अपेक्षित है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकडों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकडों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर में उसे शामिल नहीं किया जाएगा।स्तर 3. असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियां, वरीयता शेयरों के उधार, सुरक्षा जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ग. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग :

मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है जिसमें म्यूचुअल फ़ंड में निवेश के संबंध में बाजार में उपकरणों के उद्धृत कीमत (एनएवी) का उपयोग शामिल हैं।

घ. महत्वपूर्ण उल्लेखनीय अप्रभावित निवेशका उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में कोई भी उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

ड. परिशोधितलागत पर मापे गएवित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियों के उचित मूल्य।

➢ उनके अल्पावधि के कारण व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।

➢ कंपनी मानता है कि "सुरक्षा जमा" एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक के रुप में शामिल नहीं है। माइलस्टोन पेमेंट लिए के कारणों अन्य छोड़कर को प्रावधान के वित्त उसमें तथा है खाता मेल से प्रदर्शन के समूह (जमा सुरक्षा) दायित्वों अपने अंतर्गत के संविदा यह है। तीहो आवश्यकता की रखने बनाए को राशि की अनुबंध को पूर्ण रूप से पूरा करने में असफल रहता है एवं ठेकेदार कंपनियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक माईलस्टोन पेमेंट के निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकने में भी सक्षम रहता है। तदनुसार सुरक्षा जमा को लेनदेन लागत के प्रारम्भिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है तथा बाद में उसे परिशोधित लागत पर मापा भी जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जा रहा है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है।प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी, उपयुक्त मान्यताओं को निर्धारित करने हेतु है एक तकनीक का चयन करतीहै।

2. जोखिम विश्लेषण एवं प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के मुख्य देयताओं में ऋण, उधार, व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं।

कंपनी बाजार क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम कंपनी के नीतियों एवं जोखिम बैंकों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

कंपनी बाजार, क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे यह स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद एवं नकद समकक्ष, परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार प्राप्तियां	विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश),बैंक जमा क्रेडिट सीमा विविधीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियां
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं

बाजार जोखिम – विदेशी विनियम	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति एवं देयताएं	नकदी प्रवाह का संवेदनशीलता पूर्वानुमान	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम – ब्याज दर	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा तथा म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह का संवेदनशील पूर्वानुमान	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। मंडल अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल प्रबंधन जोखिम हेतु लिखित रूप में मूलधन प्रदान करती है।

क) **क्रेडिट जोखिम** - क्रेडिट जोखिम**,** नगद एवं नगदी समकक्ष**,** परिशोधित लागत में किए गए निवेश तथा बैंक एवं वित्तीय संसाधनों के साथ जमा तथा बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न हैं।
क्रेडिट जोखिम प्रबंधन- वृहद आर्थिक जानकारी (जैसे की विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति अनुबंध एवं ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।
नगदी जोखिम -

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नगदी स्थिति (नीचे उधार लेने की सुविधा शामिल है) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

i. वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका कंपनी की वित्तीय देयदाताओं को उनके अनुबंधित परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक कंपनी में विश्लेषित करती है।

तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक अनिर्धारित नकदी प्रवाह है। छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण न होने की स्थिति में बारह महीनों के भीतर शेष राशि को उनके बकाया संतुलन के बराबर समझा जाता है।

(₹लाख में)

विवरण	31.03.2019 तक				31.03.2018 तक			
	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष के मध्य	5वर्ष से अधिक	कुल
गैर व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां	-	-	-		-	-	-	-
ब्याज प्रमाणपत्र सहित उधार	-	-	-		-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-	-		-	-	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियां	123.62	-	-		33.13	-	-	-
कुल	123.62	-	-		33.13	-	-	-

क. बाजार जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देन दारियों से उत्पन्न होता है जो किसी कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय मुद्रा) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन देन से उत्पन्न विदेशी विनियम के संपर्क में है । विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी विनिमय जोखिम नगण्य है । कंपनी आयात करता है एवं जोखिम नियमित रुप से अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित भी करता है । जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होती है ,तब कंपनी के पास एक नीति है जिसे वह कार्यान्वित करता है।

नकदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम-

बैंक जमा कंपनी में उत्पन्न मुख्य ब्याज दर जोखिम साथ ही कंपनी का नकदी ब्याज दर जोखिम प्रदर्शित करता है।कंपनी सार्वजनिक उद्यम के विभाग, क्रेडिट सीमित बैंक जमा विविधिकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करता है।

पूंजी प्रबंधन

सरकारी संस्था होने के नाते कंपनी वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार है: **(₹ लाख में)**

	31.03.2019	**31.03.2018**
इक्विटी शेयर पूंजी	9510.00	9510.00
अधिमानी शेयर पूंजी	0.00	0.00
दीर्घावधि ऋण	0.00	0.00

3. कर्मचारी लाभ : मान्यता एवं माप (भारतीय लेखांकन मानक -19)

i) **भविष्य निधि :**

नामित ट्रस्ट कोयला खान भविष्य निधि जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है, में पूर्व निर्धारित दरों से कंपनी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि पर तय योगदान का भुगतान करती है । वर्ष के दौरान निधि का योगदान शून्य है। (31.03.2018 तक शून्य)

4. अपरिचित मद

क. आकस्मिक देयताएं

I. कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया।

(₹ लाख में)

क्र.सं.	**विवरण**	**दिनांक: 01.04.2018 को प्रारम्भ**	**वर्ष/ अवधि के दौरान वृद्धि**	**वर्ष/अवधि के दौरान किए गए दावे**			**दिनांक 31.03.2019 को समाप्ति**
				क. प्रारम्भिक शेष से	**ख.वर्ष/ अवधि के दौरान वृद्धि के बाहर**	**ग. वर्ष/ अवधि के दौरान किए गए कुल दावे ग(क+ख)**	
क	**केन्द्रीय सरकार**	-	-	-	-	-	-
1	आय कर	-	354.71	-	-	-	354.71
2	अन्य कोई मद:- क)	-	-	-	-	-	-
ख	**राज्य सरकार**:-	-	-	-	-	-	-
1	क)	-	-	-	-	-	-
ग	**सी.पी.एस.ई**:- कंपनी के खिलाफ मुकदमा	-	-	-	-	-	-
घ	**अन्य:-**						
1	कंपनी के खिलाफ अन्य मुकदमा	-	-	-	-	-	-
2	अन्य कोई मद:- क)	2224.80	-	-	-	-	2224.80

टिप्पणी: (1) आयकर विभाग ने मूल्यांकन वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिए आयकर में बढ़ोतरी की तथा इसी के खिलाफ आईटीएटी , कटक द्वारा दर्ज विरोध एवं अपील के लिए जमा भी किया है।

ख. गारंटी

कंपनी ने किसी अन्य कंपनी की ओर से कोई गारंटी नहीं दी है।

(1) कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक, तालचेर द्वारा जारी बैंक गारंटी नंबर 50/48 जारी किया है, जो कि भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में 22.248 करोड़ रुपये की राशि के लिए है, जो कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के माध्यम से कार्य करता है।दिनांक: 18.02.2019 को 6 महीने के लिए (01.01.2019 से 30.06.2019 तक) बैंक गारंटी संख्या-50/48 (11) और एमजेएसजे कोल लिमिटेड, एक सरकारी कंपनी है, उस समय से विरोध के तहत, नवीनीकरण किया गया है

(2) बीजी के 20% (यानी, 22.248 करोड़ रुपये) की कटौती के संबंध में भारत सरकार,कोयला मंत्रालय की ओर से एक पत्र एफ़.नं -47011/7 (6) / 93-सीपीएएम/ सीए,दिनांक: 09 जुलाई, 2013, प्राप्त हुआ,जिसके खिलाफ कंपनी के निजी शेयरधारकों ने दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में अपील की। यह कटौती कंपनी द्वारा निर्धारित/ विस्तारित समय-सीमा द्वारा लक्षित उत्पादन को पूरा न कर पाने के मद्देनजर किए जाने का प्रस्ताव है।

ग. प्रतिबद्धता

निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि
पूंजी राशि/ प्रदान किए गए : शून्य (31.03.2018 तक शून्य)
अन्य (राजस्व प्रतिबद्धता) : शून्य (31.03.2018 तक शून्य)

II .शाख पत्र :

दिनांक 31.03.19 तक बकाया शाख पत्र शून्य है (31.03.2018 तक शून्य) एवं जारी बैंक गारंटी ₹.22.248 करोड़ है (31.03.2018 तक ₹.22.248 करोड़ है)।

5. अन्य जानकारी

क. प्राधिकृत पूंजी: **(₹ लाख में)**

	31.03.2019	**31.03.2018**
प्रत्येक ₹ 10.00/- के 91500000 के इक्विटी शेयर	9510.00	9510.00

ख. प्रति शेयर आय

क्र. सं	विवरण	31.03.2019को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2018को समाप्त वर्ष के लिए	
		पीएटी	ओसीआई	पीएटी	ओसीआई
i)	इक्विटी शेयर धारक को कर के बाद शुद्ध लाभ (₹लाख में)	-	-	-	-
ii)	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्याओं में)	-	-	-	-
iii)	प्रति शेयर मूलभूत आय तथा मन्दित आय (अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर)	0.00	-	0.0	-

ग. संबंधित पक्ष के खुलासे

i) मुख्य कार्मिक प्रबंधकीय

नाम	पदनाम	प्रभावी दिनांक
श्री के.आर वासुदेवन	अध्यक्ष	12.02.2018
श्री ओ.पी सिंह	निदेशक	28.10.2016
श्री संदीप गोखले	निदेशक	24.10.2008
श्री विनायक भट्ट	निदेशक	25.07.2014
श्री एस. बी दासगुप्ता	निदेशक	23.07.2012
श्री एस.एस उपाध्याय	निदेशक	29.07.2016
श्रीएम.जी ब्रह्मपुरकर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	27.04.2018
श्री जी.ए रामकृष्णन	मुख्य वित्तीय अधिकारी	16.08.2018
श्री एस.राउत	कंपनी सचिव	25.01.2011

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक (₹ लाख में)

क्र. सं	**मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को भुगतान**	**31.03.2019 को समाप्त अवधि के लिए**	**31.03.2018 को समाप्त अवधि के लिए**
i)	**अल्पावधि कर्मचारी लाभ** सकल वेतन चिकित्सीय लाभ अनुलाभ और अन्य लाभ	33.26	20.17
ii)	**रोजगार के बाद के लाभ** पी.एफ. में योगदान और अन्य निधि ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन	-	-
iii)	**समाप्ति लाभ**	-	-
	कुल	**33.26**	**20.17**

स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(₹लाख में**)**

क्र.सं	**स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान**		**31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2018को समाप्त अवधि के लिए**
i)	बैठक शुल्क	-	-	-

31.12.2018 तक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ बकाया राशि

(₹ लाखमें)

क्र.सं	**विवरण**	**31.03.2019को**	**31.03.2018को**
i)	देय राशि	-	-
ii)	प्राप्य राशि	-	-

क. समूह के अंतर्गत संबन्धित पार्टी लेनदेन

कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी और अन्य सह-सहायक कंपनियों के साथ लेन-देन में प्रवेश किया है जिसमें लीज रेंट, सहायक कंपनियों द्वाराकिए गए निधि पर ब्याज, सीएमपीडीआई व्यय और चालू खाते के माध्यम से या अन्य सहायक कंपनियों की ओर से किए गए अन्य व्यय शामिल हैं।

अवधि के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

A (`. लाख में)

संबंधित पक्षों का नाम	संबंधित पक्षों को ऋण	संबंधित पक्षों से ऋण	पट्टे पर किराया	एमसीएल के साथ चालू खाता शेष पर ब्याज	सीएमपीडीआई व्यय	चालू खाता शेष
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	-	-	-	3.64	-	110.21
जेएसडबल्यू स्टील लिमिटेड (11% धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनी	-	-	-	-	-	-
जेएसडबल्यू एनर्जि लिमिटेड (11% धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनी)	-	-	-	-	-	2.23
जेएसएल स्टैनलेस लिमिटेड (11% धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनी)	-	-	-	-	-	-
एसएमईएल (11% धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनी)	-	-	-	-	-	1.48

इ. चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

च. चालू देयताएँ

जहां वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ अनुमानित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

शेष की पुष्टि

शेष की पुष्टि एवं सामंजस्य, नगद एवं बैंक शेष, निश्चित ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालिक देयताएँ और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है।

छ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति-

भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी (भारतीय लखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा या अधिसूचित (एमसीए) कंपनी द्वारा गृहित लेखांकन नीति (टिप्पणी-2) को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण पिछले वर्ष महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में उचित रुप से सुधार व उसे पुन: प्रारुपित किया गया।

ज. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अंतर्गत संरक्षित किये गए ऋण, निवेश एवं गारंटी का विवरण :-

संबन्धित शीर्ष के अंतर्गत दिये गए ऋण और किये गए निवेश निम्न है ।

कंपनी का नाम	**संबंध**	**ऋण/निवेश**	**राशि** (₹ **लाख में**)
शून्य	-	-	-

झ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (नोट -2) को पिछली अवधि में उपयुक्त रूप से संशोधित / पुन: प्रारूपित किया गया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम (भारतीय लेखांकन मानक) के नियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसारलेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है।

निवल लाभमें भारतीय लेखांकन मानकके अनुपालन के लिए लेखांकन नीति में बदलाव और अन्य परिवर्तनों का प्रभाव नीचे दिया गया है:

च. अन्य

क. कंपनी अधिनियम 2013 की संशोधित अनुसूची के अनुसार चालू वर्ष के सभी व्यय सीधे पूंजीगत कार्य प्रगति (नोट -4) में लगाए गए हैं।

ख. 24 सितंबर 2014 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1993-2012 के दौरान किए गए 204 कोयला ब्लॉक आवंटन को रद्द कर दिया और आवंटन प्रक्रिया को मनमाना और अवैध करार दिया।तदनुसार, कंपनी के पक्ष में पहले आवंटित किए गए उत्कल-ए कोल ब्लॉक का भी आवंटन रद्द किया गया था। हालांकि, कंपनी को अभी तक कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से आवंटन रद्द करने का कोई पत्र नहीं मिला है।गोपालप्रसाद (पश्चिम) का अन्य कोल ब्लॉक अभी भी कंपनी के पास है।

ग. पिछली अवधि के आंकड़ों को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पुनर्स्थापित किया गया है और आवश्यक समझे जाने पर फिर से व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा।

घ. 31 मार्च, 2019 तक नोट-3 से 23 तुलन पत्र का एक हिस्सा है । नोट -1 और 2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों काप्रतिनिधित्व करता है और नोट - 24 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।

टिप्पणी 1 से 24 तक हस्ताक्षर

हमारी रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड की ओर से

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
(एस.राउत)	**(जी.ए रामाकृष्णन)**	**(एम.ब्रह्मपुरकर)**	**(ओ.पी सिंह)**	**(के.आर वासुदेवन)**
कंपनी सचिव	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी/महाप्रबंधक**	**निदेशक डीआईएन-07627471**	**अध्यक्ष डीआईएन-07915732**

ह/-
(यू.एन पंडा)
क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक

उस तिथि के रिपोर्ट के अनसार
मेसर्स एम.के स्वाईं एवं असोसियट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म- पंजीकरण संख्या- 323045 ई
ह/-
(सी.ए एम.के स्वाईं)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 057573

दिनांक: 24.04.2019
स्थान: सम्बलपुर